हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 मार्च, 1988

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 22 मार्च, 1988

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5)23
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)24
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(5)42
वक्तव्य–	
राजस्व मंत्री द्वारा भिवानी जिले में चारे के अनुदान को कथित रूप से रोकने सम्बन्धी	(5)43
वर्ष 1988–89 का बजट पेश करना	(5)45

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 22 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9—30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा)ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब क्वैश्चन आश्र होगा।

Upgradation of Rural Dispensary Taraori/P.H.C. Nilokheri

***151. Shri Jai Singh Rana :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Rural Dispensary, Taraori in district Karnal ;

(b) if so, the time by which the above said Dispensary is likely to be upgraded ;

(c) whether there is also a proposal under consideration of the Government to upgrade the Primary Health Centre, Nilokheri, in district Karnal ; and

(d) if so, the time by which the said centre is likely to be up-graded ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मन्त्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क)यह ग्रामीण औषधालय पहले ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अप– ग्रेड किया जा चुका है।

(ख)प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग)यह पहले ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपग्रेड किया जा चुका (घ)प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जय सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि तरावड़ी रूरल डिस्पैसरी को प्राईमरी हैल्थ सैन्टर कब बनाया गया था?

श्रीमती कमला वर्माः सन् 1985–86 में।

श्री जय सिंह राणाः क्या इसके बनने के बाद इस प्राईमरी हैल्थ सैन्टर में कोई ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो एक प्राईमरी हैल्थ सैन्टर में होती हैं?

श्रीमती कमला वर्माः स्टाफ की सुविधा प्रोवाइड कर दी गई है। सवा पांच लाख रुपया सैक्शन हुआ है जिसमें से एक लाख 76 हजार रुपए में एक आप्रेशन थियेटर और डाक्टर के बैठने का कमरा और एक स्टोर रूम बन चुका है। रैजि डैन्शियल क्वार्टर्ज बनाने के लिए पैसा पड़ा हुआ है। जैसे ही जगह मिल जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद में प्राईमरी हैल्थ सैन्टर बना हुआ है, क्या उसे कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर में परिवर्तित करने का विचार

श्रीमती कमला वर्मा: माननीय सदस्य पृथक नोटिस दें विचार कर लिया जाएगा।

Installation of Statue of Rao Tula Ram at Rewari

***130. Shri Raghu Yadav :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state. the date on which the foundation stone for the installation of the Statue of martyr Rao Tula Ram, at Naiwali Chowk, Rewari was laid together with the time by which the said statue is likely to be installed and details of the steps, if any, taken so far in connection therewith ?

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा की आधार शिला नाईवाली चौक रिवाड़ी में दिनांक 23– 9– 87 को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय चौधरी देवी लाल जी के कर कमलों द्वारा रखी गई थी। हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 5– 2– 88 द्वारा रिवाड़ी में शहीद राव तुला राम की कांस्य प्रतिमा की स्थापना के व्यय हेतु 1,02,000 रुपए का खर्चा किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। प्रतिमा स्थापित करने का कार्य कुछ महीनों में पूरा कर दिया जाएगा।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप–मुख्य मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या किसी मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का आर्डर दे दिया गया है? 23 सितम्बर को राव तुला राम का आगामी जन्म दिवस है। क्या उस दिन तक यह मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हमने आदेश दिए हैं कि राव तुला राम की प्रतिमा छः महीने में लगा दी जाए और इसके काम के लिए एक समिति भी बना दी गई है जिसके चेयरमैन उपायुक्त हैं और माननीय सदस्य भी उस कमेटी के मैम्बर हैं लेकिन उन्हें अभी तक समय ही नहीं मिला है जिसकी वजह से उस कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हो सकी है।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आज ही सदन मे उप–मुख्य मन्त्री के द्वारा ज्ञात हुआ है कि मैं भी इस कमेटी का सदस्य हूं। मेरा तो सारा समय इन्ही कामों के लिए है।

श्री कैलाश चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, नसीबपुर गांव राव तुला राम की कर्म भूमि है। वहां की पवित्र मिट्टी को भी पिछले साल इस हाउस में लाया गया था। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता है कि क्या वहां पर राव तुला राम का स्मारक बनाया जाएगा या जो स्मारक पहले ही बना हुआ है उसे रैनोवेट किया जाएगा?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, नसीबपुर गांव माननीय सदस्य का अपना गांव है। मैं इनके साथ उस स्थान को देखने भी गया था। हम स्वाधीनता की चालीसवी वर्ष गांठ मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सरकार का विचार है कि वहां पर शहीदी स्मारक बनाया जाए।

Construction of Dhalanwas-Jhamri Road

***133. Rao Ram Narain :** Will the Minister for P.W.D.

(B&R) be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the road connecting Village Dhalanwas with Village Jhamri, in Salhawas Constituency in District Rohtak was sanctioned during the year 1980 ;

(b) if so, whether the work for the construction of the above said road has been started ; and

(c) if not, the reasons therefor togetherwith the time by which the construction work is likely to be started and completed ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज):

(क)साल्हावास चुनाव क्षेत्र में गांव ढलानवास से गांव झामडी को जोड़ने वाली सड़क अभी तक मन्जूर नहीं हुई है।

(ख)उपरोक्त (क)के दृष्टिगत, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग)इसके दृष्टिगत कि सड़क अभी तक मन्जूर नहीं हुई है, इसका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राय राम नारायण: यह सड़क 1977 में मन्जूर हुई थी। क्या इस सड़क को जल्दी कम्पलीट करने का विचार है? अगर है तो यह सडक कब तक कम्प लीट हो जाएगी?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाज: चूकि यह सड़क मन्जूर ही नहीं हुई थी इस लिए इस को बनवाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री मंगल सैन: क्या मन्त्री महोदय अपनी फाईल के पन्ने देख कर बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़क कहीं उस समय तो मन्जूर नहीं हुई थी जब राव राम नारायण जी वजीर थे? (हंसी)

Mr. Speaker : Next question

Setting up of New Industries in the State

***138. Shri Durga Dutt Attri :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether any new Industries are likely to be set-up in the State during the year 1988-89 ; and

(b) if so, details thereof ?

उद्योग मंत्री (डा० किरपा राम पुनिया):

(क)जी हां।

(ख)औद्योगिक इकाईयों को लगवाया जाना एक चलता रहने वाला क्रम है। बड़े तथा माध्यम क्षेत्र में लगाए जाने वाले उद्योगों के अधीन इस समय राज्य में 228 आशय पल, 75 औद्योगिक लाइसैसं तथा 1051 डी०जी०टी०डी०/ एस०आई०ए० पंजीकरण कार्यान्वित किए जाने की भिन्न–भिन्न स्थितियों में हैं। लघु क्षेत्र तथा कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत वर्ष 1988– 89 में 6000 इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनमें से 2500 इकाईयां ग्रामीण औद्योगिक योजना के अन्तर्गत लगने की आशा है।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: क्या उद्योग मन्त्री जी कृपया बताएंगे कि क्या वे उद्योग रोजगार के और ज्यादा अवसर प्रदान करने में सहयोगी हो सकते हैं?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, यह बात बिल्कुल ठीक है कि किसी भी देश में या किसी भी स्टेट में जब तक इण्डस्ट्रियल डिवैल्पमैंट नही होगी, तब तक उस देश या प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। वैसे तो हरियाणा प्रान्त का हर क्षेत्र में काफी विकास हुआ है और हर दिशा में काफी प्रगति हुई है लेकिन फिर भी मैं कुछ आकड़े सदन की सूचना के लिए बताना चाहूंगा। नवम्बर, 1966 में जिस समय हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, उस समय हरियाणा राज्य में लार्ज एण्ड मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज की संख्या 162 थी जो कि अब बढ़ कर 380 हो गई है। इसी प्रकार से स्माल स्केल यूनिट्स जो 4519 थे, अब बढ़ कर 78,930 हो चुके हैं। इसी तरह ही आपको याद होगा जब चौधरी देवी लाल जी 1977 में मुख्य मन्त्री बने थे, उस वक्त देहात में नवयुवकों को सैल्फ एम्पलायमैंट देने की एक स्कीम चलाई गई थी जिसके तहत उस समय काफी इकाईयां स्थापित हुई थी। सरकार ने उस समय नवयुवकों को सैल्फ एम्पलायड होने के लिए ऐनकरेज किया था और काफी इन्सैन्टिव देकर उन्हें ऐसी इकाईयां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब भी नवयुवकों को ऐनकरेज करने के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जिस प्रकार पड़ौसी राज्यों में प्रोत्साहन और इन्सैन्टिव दिए जा रहे हैं उसी प्रकार हरियाणा राज्य में

भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है। सरकार पूर्णतया सजग है कि इण्डस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मन्त्री महोदय ने बताया है कि रूरल इन्डस्ट्रीज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा राज्य में उद्योगों का काफी विस्तार हुआ है। आपका कहना है कि रूरल इन्डस्ट्रीज स्कीम के तहत गांवों में हजारों इकाईयां लगाई गई हैं। इन्होंने यह भी फरमाया है कि उद्योगों के विस्तार के लिए काफी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ग्रामीण इन्डस्ट्रियल स्कीम के अन्तर्गत जो चीजें बनती हैं उनको बेचने के लिए क्या कोई मार्किटिंग फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई है, अगर उपलब्ध है तो सरकार इन चीजों को बेचने में किस प्रकार मदद करती है?

डा० किरपा राम पुनियाः अध्यक्ष महोदय, रूरल इन्डस्ट्रीज स्कीम 1977 में बनी थी। उस समय डाक्टर साहब इन्डस्ट्री मिनिस्टर थे और मैं डायरैक्टर आफ इन्डस्ट्रीज था। हम दोनों ने मिल–जुलकर विचार–विमर्श करके यह स्कीम बनाई थी। मैं डाक्टर साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि रूरल इन्डस्ट्रीज स्कीम के अन्तर्गत काफी विस्तार से उद्योग सैट–अप हुए थे और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कई इन्सैन्टिवज दिए गए थे जैसे कि सीड मनी, सबसिडी, इन्टैरस्ट सब सिडी आदि। जहां तक मार्किटिंग सुविधा उपलब्ध करवाने का सवाल है, यह काम हमारी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है।

श्री परमा नन्दः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मीडियम और लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज मंजूर हुई हैं उनमें से जीन्द में इस वर्ष कितनी मंजूर हुई हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जीन्द में लार्ज और मीडियम स्केल की कितनी इंडस्ट्रीज बन्द की जा रही हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, वैसे तो जितने भी लैटर्ज आफ इन्टैन्टस या लाइसैसं ग्रांट किए जाते हैं उसमें किसी डिस्ट्रिक्ट का या ऐग्जैक्ट लोकेशन का ब्योरा नहीं दिया जाता। ऐन्टरप्रिन्योर्ज लार्ज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अपने आप को गवर्नमैंट आफ इंडिया के पास रजिस्टर करवा लेते है और लैटर आफ इन्टैटंस ले लेते हैं। पूरी तैयारी होने के बाद ऐग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं। इस समय जींद में कोई लार्ज या मीडियम स्केल इंडस्ट्री सैट अप करने के लिए कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि रूरल सैक्टर में लार्ज स्केल और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के बन्द होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार इन कारणों को दूर करने के लिए कोई उपाय कर रही **डा० किरपा राम पुनियाः** स्पीकर साहब, वैसे इंडस्ट्रियल यूनिटस चाहे वे स्माल स्केल सैक्टर में हों या रूरल इंडस्ट्रीज स्कीम के तहत हों और चाहे लार्ज स्केल के तहत लगी हों कई बार ये फेल हो जाती हैं, सिक हो जाती हैं। इसके अनेकों कारण होते हैं। कई बार बिजली नहीं मिलती कई बार फाइनैस नहीं होते, कई बार मार्किट में स्लम्प आ जाता है, या मार्किट में और प्रौबल्म आ जाती

है। इन कई कारणों की वजह से इंडस्ट्री फेल हो जाती है। इनकी रिवाइवल भी चलती रहती है लेकिन इसमें सरकार की तरफ से ज्यादा सहायता नही दी जा सकती बल्कि ऐंटरप्रिन्योर्ज को खुद कोशिश करनी पड़ती है।. बहरहाल इसके लिए हम अपनी तरफ से काफी कोशिश करते हैं कि उनको मार्किटिंग आदि की असिसटैंस दी जाए।

श्री रत्न लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, 1977 में ग्रामीण उद्योग के तहत जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती थी उनमें चार आदमी मिल कर इंडस्ट्री लगाते थे जिनमें एक हरिजन का होना अनिवार्य था। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि आज भी उस प्रकार की स्कीम है कि हरिजन का होना अनिवार्य है?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, अब यह अनिवार्य नही है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने मन्त्री महोदय से एक सवाल पूछा था और उन्होंने वजह फरमाया कि 1977 में वे मेरे सहायक थे। डायरैक्टर तो डायरैक्ट ही करता है और अपनी कुशलता से वे आज कल मन्त्री बन गए। वह काम तो परमानैट था लेकिन यह काम मोस्ट टैम्पोरेरी है। (हंसी)खैर, रूरल इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन करती हैं उसकी सेल स्माल स्केल एण्ड ऐक्सपोर्ट कारपोरेशन की मदद से होती है। मैं जानना चाहूंगा कि 1977 से लेकर अब तक ईयर वाइज इस कारपोरेशन ने कितना माल बिकवाया है?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, यह सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। डा० साहब अगर चाहें तो इस बारे में मैं उनको शाम तक सूचना दे दूंगा।

श्री मंगल सैनः ठीक है जी, शाम तक दे दें।

श्री जगपाल सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने 1988– 89 में गांवों में स्माल इंडस्ट्रीज का टारगैट 2500 रखा है। क्या वे इसका कांस्टि– च्यूऐंसी वाइज ब्योरा देंगे? साथ ही क्या ये यह भी बताएंगे कि जो लार्ज एण्ड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये कांस्टिच्चुऐंसी वाइज कहां कहां पर लोकेटिड है?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, कास्टिचुऐंसी वाईज इन्फर्मेशन तो मेरे पास इस समय नहीं है बहरहाल डिस्ट्रिक्टवाईज इन्फर्मेशन मेरे पास है। वह इन्फर्मेशन अगर ये कहें तो थे बता देता हूं। इसमें ऐसे है कि 1987–88 में 2300 यूनिट टोटल हरियाणा प्रान्त में लगने थे। हिसार का टारगैट 200 का था, अम्बाला के लिए 250, सिरसा के लिए 150, फरीदाबाद के लिए 300, गुडगावा के लिए 225, नारनौल के लिए 175, जींद के लिए 125, कुरुक्षेत्र के लिए 150, रोहतक के लिए 175, सोनीपत के लिए 200, पानीपत के लिए 250 और भिवानी के लिए 125 का टारगैट था।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मन्दी महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। जिन क्षेत्रों को पहले बैकवर्ड एरिया घोषित कर दिया था उनका अब विकास हो चुका है

लेकिन जिन क्षेत्रों को पहले बैकवर्ड घोषित नहीं किया था या ओपन में रह गये थे, क्या ऐसे कोई क्षेत्र हरियाणा में हैं और उनके विकास के लिये कोई विचार हो रहा है? क्या उसके अन्दर कैथल का क्षेत्र भी शामिल है जिसमें आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। क्या वहां पर विकास करने केलिये सरकार विचार करने केलिये तैयार है?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, वैसे तो स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से अभी तक नूह, पुनहाना और फिरोजपुर झिरका और ताऊडू ब्लौक औफ गुडगावा डिस्ट्रिक्ट और हथीन ब्लौक औफ फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कालका, नारायणगढ़ और अम्बाला तहसील औफ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट नाहड झज्जर मेहम और रोहतक तहसील औफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट और गोहाना तहसील औफ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर किया जा चुका है क्योंकि यहां पर महसूस किया गया था कि इंडस्ट्रियल ऐनकरेजमैट देने की आवश्यकता है। इसी तरह से सैन्ट्रल गवर्नमैंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट भिवानी, डिस्ट्रिक्ट हिसार डिस्ट्रिक्ट सिरसा, डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ ऐक्सैप्ट रिवाड़ी ब्लौक, और जीन्द डिस्ट्रिक्ट ऐक्सैप्ट राजौंद ब्लौक इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर किये जा चुके हैं। बाकी जहां तक कैथल का ताल्लुक है, इस बारे में हम जांच करवा लेंगे।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब उद्योग मन्त्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि 1988– 89 के लिये लाइसैंस जो दिये गये हैं, इनमें क्या कोई लाइसैंस नौन–रैजिडैट इंडियन्स को भी दिये गये हैं या पब्लिक सैक्टर में ही दिये गये हैं? अगर ऐसा है तो ऐसे कितने हैं।

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, जैसे मैंने बताया है कि टोटल 75 इंडस्ट्रियल लाइसैंसिज आज के दिन पैंडिंग हैं, 228 लैटर्ज औफ इन्टैटंस और 1051 डी० जी० टी० डी० /एस० आई० ए० के अन्दर रजिस्ट्रेशन्ज पैंडिंग हैं। इनमें से सिर्फ 22 के साथ एच० एस० आई० डी० सी० के ऐग्रीमैंट्स हुए हैं। बाकी के बारे में कार्यवाही चल रही है। ये सारे के सारे यूनिट्स प्राइवेट सैक्टर में लगने हैं। पब्लिक सैक्टर का इसमे अभी तक कोई यूनिट नहीं है।

श्री महा सिंह: स्पीकर साहब, में आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कुंडली इंडस्ट्रियल काम्पलैक्स को बनना शुरू हुए कितने साल हो गये हैं? उसके लिये जमीन ऐक्वायर बहुत समय पहले की हुई है लेकिन अभी तक भी वहां पर पूरी तरह से इंडस्ट्रियल एरिया डिवैल्प नहीं हो पाया है। क्या वे बतायेंगे कि कितनी देर तक वह डिवैल्प हो जायेगा। इसके अलावा एक बात और है। जिस गांव की जमीन पर फैक्टरी लगायी जाती है, क्या उन फैक्टरी वालों के लिये ऐसी कोई शर्त है या विचाराधीन है कि उसी गांव के लड़कों को रोजगार दिया जाये?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, कुंडली को इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफी समय से डिवैल्प करने के लिये प्रयास किया जा रहा है। जितनी तेजी के साथ इंडस्ट्रीज आनी चाहिये थीं, उतनी तेजी के साथ आयी नहीं हैं। इसके बारे में अलग से जांच करनी पड़ेगी कि क्या कारण है क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई जांच नहीं की गयी है। बाकी जहां तक उसी एरिया के बच्चों को ऐम्पलायमैंट देने

का सवाल है, इस बारे में जितने भी ऐन्टरप्रन्योर्ज वहां पर अपनी फैक्टरीज लगाते हैं, उनको सुझाव भी दिया जाता है और हमारा यह प्रयास भी होता है कि वे उस एरिया के बच्चों को भर्ती करें। फिर भी अगर कोई शिकायत हो तो हमें भेज दें, हम उसको देख लेंगे।

श्री सरदूल सिंहः स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल की सरकार का यह वायदा था कि जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं उनको छोटे–छोटे उद्योग खोलने में इमदाद दी जाएगी। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब से यह सरकार बनी है कितने लड़कों को इस तरह के उद्योग खोलने में सहायता दी गई और खासकर जींद जिले के कितने लड़कों को सहायता दी गई है?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, रूरल इंडस्ट्रीज स्कीम के तहत अब तक 31 हजार 144 यूनिट लग चुके हैं और 79,663 लोगों को ऐम्पलाएमैंट मिल चुकी है। जींद की फिगर मेरे पास नहीं है।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः स्पीकर साहब, हरियाणा टैनरीज, जींद को बन्द किया जा रहा है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर जो अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको किसी और विभाग में ऐडजस्ट किया जाएगा?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, वैसे तो इस बारे में अली जी ने सवाल पूछा था और उसका अलग से जवाब दिया जा चुका है लेकिन मैं सदन की सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि हरियाणा टैनरीज को बन्द करने के बारे में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है कि

इसको बन्द करना है या नहीं। यह यूनिट अभी बन्द पड़ा है लेकिन स्टेट गवर्नमैंट ने फाईनल डिसिजन लेना है कि इसको बन्द करना या बन्द नहीं करना है। अन्तिम फैसला होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि उन कर्मचारियों को किसी दूसरी जगह ऐम्पलाएमैंट दी जाए या नहीं।

श्री मांगे रामः स्पीकर साहब, रोहतक सारे का सारा बैकवर्ड घोषित किया जा चुका है लेकिन बहादुरगढ़ का इलाका इंडस्ट्रीज के लिये बैकवर्ड एरिया घोषित नहीं किया गया है। बहादुरगढ़ में 650 फैक्टरीज थीं लेकिन पिछली सरकार की नीतियों के कारण 640 फैक्टरीज दिल्ली में शिफ्ट हो गई और उनकी बिल्डिंग्ज खाली पड़ी हुई हैं। क्या मन्त्री महोदय बहादुरगढ़ की तरफ भी कोई ध्यान देंगे?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, जहां तक बहादुरगढ़ को बैकवर्ड घोषित करने का सवाल है वह तो बैकवर्ड घोषित नहीं हो सकता क्योंकि वहां पहले ही काफी उद्योग लगे हुए हैं। दिल्ली में कुछ यूनिट्स शिफ्ट हो चुके हैं यह सूचना मेरे पास नहीं है और अगर मैम्बर साहब की बात मान भी ली जाए तो मैं यह कहूंगा कि सरकार की तरफ से उनको चालू करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। वहां पर लोग उन यूनिटस, को चालू करें और हमारी तरफ से अगर किसी सहायता की जरूरत होगी तो वह हम करेंगे।

श्री सीता राम सिंगलाः स्पीकर साहब, जितने भी बड़े–बड़े उद्योग हरियाणा में लगे हैं उनके रजिस्टर्ड औफिस दिल्ली में हैं। इससे

हरियाणा को काफी लौस होता है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन उद्योगपतियों को कहा जाएगा कि वे अपने रजिस्टर्ड औफिसिज हरियाणा में ही रखें जिससे कि हरियाणा को कोई लौस न हो?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, है तो गुस्ताखी. ही लेकिन औनरेबल मैम्बर यह बताएं कि किस किस्म का नुक्सान होता है। मुझे यह बात स्पष्ट नहीं है। मेरी इनफरमेशन के मुताबिक तो कोई हानि नहीं हो रही है।

श्री देवी दासः 1977 से अब तक रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम के तहत काफी इंडस्ट्रीज देहात में लगी हैं। देहात के लोगों ने जिनमें हरिजन भी काफी हैं, देहात में फैक्टरीज लगाई हैं। चौधरी देवी लाल ने एलान किया था कि सरकारी लोन माफ किए जाएंगे। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रूरल इंडस्ट्रीज जो देहात के लोगों ने और हरिजनों ने लगाई थीं और बाद में बन्द हो गई उन लोगों के कर्जे भी माफ करने के बारे में सोचा जाएगा?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के नजदीक कुंडली व गुड़गांव में या अन्य जो इंडस्ट्रियल ऐस्टेटस हैं वहां पर इंडस्ट्रियल प्लौट्स और शैड्ज तो हैं वे हरियाणा के बाहर के लोगों को ही ज्यादा आबंटित किए गये है साथ ही उन में हरियाणा के लोगों को रोजगार

भी बहुत कम मिला है। प्रांत से बाहर के लोगों को ही रोजगार दिया जाता है इस सदन के पटल पर पहले जवाब भी आया था और जिससे यह भी जाहिर था कि स्थिति ऐसी ही है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिससे हरियाणा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्लाट शैडज और रोजगार मिल संके?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर सर, वैसे यह तो कभी भी सम्भव नहीं हो सकता कि जो भी इंडस्ट्रियल यूनिटस हरियाणा के अन्दर लगें उनमें सभी हरियाणा के रहने वालों को ही रोजगार मिले क्योंकि कई पोस्टें टैक्नीकल होती हैं और ऐसे आदमी कई बार हरियाणा के अन्दर नहीं मिलते, अन– सकिल्ड व सैमी–सकिल्ड तो मिल जाते हैं। वैसे हमारा फिर भी यही प्रयास होता है कि ज्यादा से ज्यादा हरियाणा के लोगों को ही भर्ती किया जाये। अगर माननीय सदस्य किसी पर्टीकुलर यूनिट के बारे में जानना चाहते हों तो वे बता दें हम उसकी जांच करवा लेगे।

श्री रघु यादव: स्पीकर सर, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यादव साहब, आप बैठिये आगे इंडस्ट्रीज से सम्बन्धित और सवाल आ रहे हैं।

श्री जय नारायण खुडिया: स्पीकर साहब, रोहतक जिले के नाहडू झज्जर और मेहम हल्कों को सरकार द्वारा पहले ही बैकवर्ड एरिया घोषित किया गया है। क्या क्लानौर को भी बैकवर्ड एरिया घोषित करने

का सरकार का कोई विचार है? **डा० किरपा राम पुनिया:** स्पीकर साहब, इस बारे में पहले कभी भी कोई सुझाव सरकार को नहीं दिया गया था। अब अगर आदरणीय सदस्य महोदय इस बारे में लिख कर दे देंगे तो हम इस बारे में जांच करवा लेंगे। अगर कलानौर हर तरह से कंडीशनज को फुलफिल करता होगा तो उस पर विचार किया जा सकता है।

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, श्री सीता राम सिंगला जी ने अभी जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। इंडस्ट्रीज के रजिस्टर्ड आफिस से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दुर्भाग्यवश दिल्ली के नजदीक जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपने सेल्ज आफिसिज दिल्ली में बना रखे हैं जिससे हरियाणा प्रदेश को बहुत नुक्सान हो रहा है। हरियाणा प्रदेश उनको इंडस्ट्रीज के लिये जमीन देती है, बिजली देती है, पानी देती है और ला एण्ड आर्डर द्वारा उनकी रक्षा भी करती है लेकिन इन सब के बावजूद हरियाणा को कुछ नहीं मिलता। 1982 में लोक सभा में एक कंसाईनमैंट टैक्स बिल पास हुआ था और उस में केन्द्र सरकार ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये थे जिसके तहत ऐसे इंडस्ट्रियलस्टिस पर टैक्स लगाया जाना था जिन्होंने हरियाणा में इंडस्ट्रीज होने के बावजूद अपने सेल्ज आफिस दिल्ली में खोल रखे हैं। लेकिन केन्द्र सरकार इसको इम्पलीमैंट नहीं कर रही है। इस प्रकार से केन्द्र सरकार की हठधर्मी के कारण हरियाणा प्रान्त को लगभग 100 करोड़ रुपये का सालाना नुक्सान हो रहा है। अभी पिछले दिनों जब विपक्ष के मुख्य मन्त्रियों की मीटिंग हुई थी उसमें भी इस बात की चर्चा हुई थी और

जब जोनल कौंसिल की बैठक चण्डीगढ़ में हुई–थी वहां भी मैंने यह प्रश्न उठाया था लेकिन बड़े बड़े जो उद्योगपति है उनके हाथ चूकि बहुत लम्बे हैं इसलिये उनके प्रभाव में आकर केन्द्र सरकार उस कन्साईनमैंट टैक्स ऐक्ट की शर्तों को उन के ऊपर इम्पली– मैट नहीं कर रही है। तैयब साहब यहां पर बैठे हैं। उनकी पार्टी की केन्द्र में सरकार है। अगर ये सचमुच में यह चाहते हैं कि हरियाणा प्रान्त का हित हो तो इनको चाहिये कि ये वहां जाकर कहें कि इस कसाइनमैंट टैक्स ऐक्ट को जल्दी लागू किया जाए ताकि स्टेट को लाभ हो सके।

Setting up of Sugar Mill at Gohana

***178. Chaudhri Kishan Singh Sangwan :** Will the Minister of State for Cooperation be pleased to refer to reply to Starred Question No. 1257, answered on the 2nd March, 1987, and be pleased to state—

(a) whether any decision has been taken by the State Government/ Government of India for the setting up of a new Sugar Mill at Gohana ; and

(b) if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government for the above said purpose ?

Minister of State for Cooperation (Dr. Ra ghubir Singh) :

(a) & (b) An application was sent by the State Government to Government of India on 7-3-1983 for setting up of new cooperative sugar mill at Gohana . It was rejected by the Government of India.

10.00 बजे

चौधरी किशन सिंह सांगवानः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वह ऐप्लीकेशन किस तारीख को रिजैक्ट हुई और कौन कौन से ग्राऊंड. थे जिनकी वजह से वह रिजैक्ट हुई?

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, 1979 में एक कोआप्रेटिव सोसाइटी गोहाना शूगर मिल के नाम से रजिस्टर हुई थी और उसकी ऐप्लीकेशन 1983 में हरियाणा गवर्नमैंट ने सैन्टर गवर्नमैंट को भेज दी थी। वह ऐप्लीकेशन जून 1987 में गवर्नमैंट आफ इंडिया से रिजैक्ट हो गई थी। उस ऐप्लीकेशन का रिजैक्ट होने का यह ग्राउंड था कि जब यह सोसाइटी रजिस्टर हुई थी उस समय इस शूगर मिल की ऐग्जिस्टिंग कैपेसिटी 1250 टन की थी लेकिन सातवी पंच वर्षीय योजना के अन्दर जो गाइड लाइज थीं उनमें परिवर्तन होने के कारण इसकी ऐग्जिस्टिंग कैपेसिटी को 1250 टन से बढ़ा कर 2500 टन कर दिया गया। एक तो उस ऐप्लीकेशन का रिजैक्ट होने का यह ग्राऊंड था। दूसरा ग्राउंड यह था कि गोहाना शूगर मिल की साइट का डिस्टेंस पानीपत, सोनीपत और रोहतक शूगर मिल्ज से 40 किलोमीटर का होना चाहिए था लेकिन गोहाना शूगर मिल की साइट 40 किलोमीटर के अन्दर ही आ जाती है इसलिये इस बिना पर भी वह ऐप्लीशन रिजैक्ट हो गई।

चौधरी किशन सिंह सांगवानः स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने उस ऐप्लीकेशन के रिजैक्ट होने के कारण बताए हैं और यह कहा है कि गोहाना शूगर मिल की साइट पानीपत, सोनीपत और रोहतक शूगर

मिल्ज से 40 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए लेकिन वह साइट चूंकि 40 किलोमीटर के अन्दर ही आती है इसलिये वह ऐप्लीकेशन रिजैक्ट हो गई। मैं माननीय मन्दी जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि हम उसके लिए उन तीनों शूगर मिल्ज से 40 किलोमीटर की दूरी पर साइट दे दें तो क्या मन्त्री जी उसके बारे में गौर फरमाएंगे?

डा० रघुवीरसिंहः स्पीकर साहब, कोआप्रेटिव सोसाइटी गोहाना की वह ऐप्लीकेशन रिजैक्ट होने के बाद कोई नई ऐप्लीकेशन नहीं आई है।

श्री नर सिंह ढांडाः स्पीकर साहब, कैथल में शूगर मिल लगाने के लिए मन्त्री जी ने भी बताया था और मुख्य मन्त्री जी का भी बयान आया था। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कैथल में शूगर मिल कब तक लगा दिया जाएगा?

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब कैथल में शूगर मिल लगाने के लिये हरियाणा सरकार ने ऐप्लीकेशन गवर्नमैंट आफ इंडिया को भेज दी है और वह वहां पर अंडर कंसिड्रेशन **श्री भागी रामः** स्पीकर साहब, मत्री जी इस सवाल के बारे में चूंकि जनरल जवाब दे रहे हैं इसलिये मैं सिरसा के बारे में पूछना चाहूंगा। मली जी कई बार सिरसा गए भी हैं और वहां के लोग इनसे मिले भी हैं। वहां के लोगों की मांग है कि सिरसा में एक शूगर मिल लगाया जाए। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सिरसा में शूगर मिल लगाने के बारे में कोई विचार

कर रही है, अगर विचार कर रही है तो उसका केस सैटंर गवर्नमैंट को कब भेज रही है?

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, सरकार इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सहकारिता मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भूना में शूगर मिल लगाने के लिये हरियाणा सरकार ने सैटर गवर्नमैंट को जो रिकमैडेशन की थी उसके बारे में कब तक फैसला होने की उम्मीद है?

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, तीन शूगर मिल्ज, मेहम, कैथल और भूना में लगाने के बारे में केस सैटर गवर्नमैंट के अंडर कंसिडेरशन है और हमारे कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट के जो सीनियर औफिसर्ज हैं उनकी उनके साथ इस बारे में मीटिंग हो चुकी है। भूना में शूगर मिल लगाने के बारे में we should hope for the positive response from the Central Government.

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या शूगर मिल लगाने के लिए ऐप्लीकेशन रिकोमैंड करने के कोई नार्म्ज फिक्स किए हुए हैं जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर उस एरिया का ठीक हो और गन्ना भी पूरी माता में मिल सकता हो ताकि वह मिल कामयाब हो सके? क्या इस प्रकार का कोई क्राइटेरिया अपनाया जाता है।

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, इस बारे में गाइड लाइन्ज हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी एक दिन बताया था कि किसी शूगर मिल को लगाने से पहले शूगर केन की पोटेन्शियलिटी एग्जिसटिंग मिल से डिस्टैंस और शूगर केन की क्वांटिटी जो उस एरिया में उपलब्ध होगी को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद में शूगर मिल लगाने के लिये सैंटर गवर्नमैंट को कोई ऐप्लीकेशन फारवर्ड नही की गई है और वहां पर कोई कोआप्रेटिव सोसाइटी भी रजिस्टर नहीं हुई है। शूगर मिल लगाने के लिये गवर्नमैंट आफ इंडिया का क्राइ टेरिया यह है कि सबसे पहले कोआप्रेटिव सैक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री जगपाल सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नारायणगढ़ में शूगर मिल लगाने के लिये जो ऐप्लीकेशन दी हुई है वह कब तक गवर्नमैट आफ इंडिया को भेज दी जायेगी?

डा० रघुबीर सिंहः इसके लिये कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता क्योंकि अभी यह मामला हरियाणा सरकार के विचाराधीन है।

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि भोले–भाले किसानों का गन्ना शूगर मिल बौंड कर लेता है। जब किसान बौंड के मुताबिक मिल को गन्ना सप्लाई नही कर पाता तो मिल की तरफ से किसानों पर पैनेल्टी डाल दी जाती है। कई जगहों पर

लोगों पर पैनेल्टी डाली भी गई है। जब किसान अन्दाजे के मुताबिक गन्ना मिल को बौंड करा देता है और जितना गन्ना बौंड के हिसाब से सप्लाई करना होता है उतना नहीं कर पाता तो मिल किसान पर पैनेल्टी डाल देता है। इसके विपरीत यदि किसान के पास गन्ना फालतू है तो शूगर मिल पर कोई पैनेल्टी नहीं लगाई जाती और न ही उस फालतू गन्ने को मिल लेने की कोशिश करता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस पैनेल्टी को रफा करने का कोई प्रावधान उनके पास है?

डा० रघुबीर सिंहः यह बात ठीक है कि किसान अपना गन्ना मिल को क्वांटिटी के हिसाब से बौंड करवाता है। यानी अपना गन्ना मिल को रजिस्टर्ड करवाता है। यदि बौंड के हिसाब से क्वांटिटी पूरी नही होती तो अब तक इस वर्ष की कमी के लिये किसी भी मिल द्वारा किसी पर कोई पैनेल्टी नही डाली गई है। आगे से इस पर्ता सिस्टम को बाइन्डिंग करने का और इस को स्ट्रीक्ट करने का विचार है लेकिन अभी तक किसी पर कोई पैनेल्टी डाली गई हो, ऐसा कोई केस हमारे नोटिस में नहीं है।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, किसानों पर पैनेल्टी डाली हुई है।

डा० रघुबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई स्पैसिफिक केस इनके नोटिस में है तो ये हमें लिख कर दे दें, उसको हम देख लेंगे। वैसे पैनेल्टी सीजन खत्म होने के बाद लगती है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कितना किलोमीटर का एरिया होता है जिसमें से शूगर मिल गन्ना लेता है। जीन्द में बहुत से लोगों का गन्ना सूख रहा है क्योंकि मिल ने अपनी जरूरत से ज्यादा गन्ना एरिया किसानों से गन्ने के लिये ले रखा है।

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, मैं बताना चाहूंगा कि हम बौंड के हिसाब से ही किसानों से गन्ना लेते हैं। हम एक मिल का एरिया तकरीबन 40 किलोमीटर का रखते हैं।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि लोगों पर मिल की तरफ से गन्ना सप्लाई न करने पर पैनेल्टी डाली गई है।

श्री अध्यक्षः मन्त्री जी ने इस बारे में कह दिया है कि आप इन्हें लिख कर दे दें ये उसे चौक करवा लेंगे।

Repair/Linking of Roads in Rohat Constituency

***161. Shri Mohinder :** Will the- Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) the total number of roads in Rohat constituency, if any, repaired during the period from 1-1-1987 to 31-1-1988 ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct metalled road :—

(1) from Khanda to Bhadana, and

(2) from Silana to Chaulkai, in Rohat constituency of district Sonipat ?

Public Works Minister (Shri Om Parkash Bhardwaj) :

(a) There are 42 number of metalled roads in Rohat Constituency. All the roads were repaired duriug the period from 1-1-1987 to 31-1-1988.

(b) (1) No, Sir.

(2) Yes. Sir.

श्री जगपाल सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने पिछली दफा कहा था कि सिर्फ डायरैक्टरी विलेज को ही पक्की सड़क बनाने के लिये लिया जायेगा। मैं मच्छी जी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा में मोरनी हिल्ज जैसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक एक डायरैक्टरी में 15— 15 और 18— 16 गांव हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन विलेजिज को डायरैक्टरी विलेजिज में न रख कर क्या एक एक गांव में सड़क बनाये जाने का कोई टारगेट रखा जायेगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाज: मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि जब भी हमारे पास ऐडिकुएट फण्डज हो जाएंगे तो उन गांवों को भी पक्की सड्कों से मिला दिया जायेगा।

श्री महेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि रोंहट निर्वाचन क्षेत्र में पक्की सड्कों की संख्या 42 है तथा सभी सडकें 1— 1— 87 से 31— 1— 88 तक के समय के दौरान मुरम्मत की गई थीं। इस संबंध में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि इनका यह

जवाब सन्तोषजनक नहीं है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि 31 मार्च के बाद जो नया साल आरम्भ होने जा रहा है उसके अन्दर या चालू साल में कोई राशि उन गांवों की सड्कों के लिये रखी गई है जिनका जिकर मैंने अपने सवाल में किया है। दूसरे यदि किन्हीं सड्कों के लिये इस साल के लिए पैसा रखा गया हो तो क्या वहां पर इस समय काम चल रहा है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि सिलाना से चुलकाई तक जो इनकी सड़क है इस पर पहले भी काम हो चुका है और 6 लाख रुपये का काम और आगे इस सड़क को कम्पलीट करने के लिये किया जायेगा।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग में जो घपला चल रहा था क्या इस सरकार के बनने के बाद उसके. क्वालिटी आफ वर्क में फर्क पड़ा हैं? कागजों में सड़कें बनी हुई दिखायी गई हें लेकिन वहां पर सड़क बनी हुई नहीं है। जैसे मेरे अपने हल्के में लहरिया गांव से बाआन गांव तक सड़क बनी हुई दिखायी गई है लेकिन वहां पर सड़क बनी हुई नहीं है। यह गांव भूना ब्लौक में है। इसलिये मैं मन्दी महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी मशीनरी इवौल्व की है या करने का विचार है जिससे ऐसे कामों की चौकिंग हो सके?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब हमारे डिपार्टमैंट में इन्कवायरी सैल है। जो भी कम्पलेन्ट आती है उसकी पूरी जांच होती है

1 जो भी कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाया जाता है उसे सजा दी जाती है।

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या मन्त्री जी के नोटिस में है कि कुछ सड्कों को इन्टर स्टेट जोड़ने की जरूरत है? क्या ऐसी सड्कों को प्रायरिटी बेसिज पर दूसरे प्रांतों के साथ जोड़ने का विचार है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः हमारी कोशिश होती है कि दूसरी स्टेटों के साथ उनको जोड़ा जाये ताकि वह फासला कम हो जाये।

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, अभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि इनके विभाग में इन्कवायरी सैल बना हुआ है और जो लोग दोषी पाये जाते हैं उन्हें सजा दी जाती है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस महकमे में माननीय मंत्री जी के चार्ज संभालने के बाद से अब तक कितनी इन्कवायरीज हुई हैं? कितनों को दोषी पाया गया और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अगर इस सवाल के लिये सैपरेट नोटिस देंगे तो सारी बातें बता दी जायेंगी।

श्री कुन्दन लाल भाटियाः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि फरीदाबाद में डबवा कालोनी से डबवा गांव और डबवा कालोनी से नांगल गांव तक सड़क कब तक बना दी जायेगी क्योंकि वहां पर अब तक कोई सडक नहीं बन पायी है? दूसरे बस अड्डे से ले कर स्टेशन तक जो सड़क बनी हुई है, उसे बने हुए बीस साल हो गये हैं लेकिन अभी तक उसकी मुरम्मत नहीं हुई है? क्या मन्त्री

महोदय उन सड्कों को बनाने का और इनकी मुरम्मत का विचार रखते है?

श्री अध्यक्षः यह बताना संभव नहीं है।

श्री मांगे रामः स्पीकर साहब मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भांडोठी से मातन तक जो एक किलोमीटर सड़क का टुकड़ा बनना है उसको कटा तक पूरा कर देंगे?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः जब फन्ड हो जायेगे तो उसे पूरा कर दिया जायेगा।

ताराँकित प्रश्न संख्या 157

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री सतबीर सिंह कादयान सदन में उपस्थित नहीं थे।

Setting up of Industries at Gannaur

***191. Shri Veal Singh Malik :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up any big Industries at Gannaur in District Sonipat ; and

(b) if so, the details thereof ?

Industries Minister (Dr. Kirpa Ram Punia)

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

श्री वेद सिंह मलिकः क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जिला सोनीपत में गन्नौर के अन्दर कोई सरकारी इन्डस्ट्री है और अगर है तो उसका नाम बतायें?

डा० किरपा राम पुनियाः वहां पर न कोई सरकारी इन्डस्ट्री है और न ही होने की सम्भावना है।

श्री आत्मा राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि जिस एरिया में इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं जनरली उस एरिया के लोगों को इन इन्डस्ट्रीज में एम्पलायमैन्ट दी जाती है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसा कोई कानून भी बनाया हुआ है जिसके तहत प्राईवेट इन्डस्ट्रियलिस्टस को इस बात के लिये मजबूर किया जा सके कि उस एरिया के लोगों को एम्पलायमैन्ट दें जिस एरिया में यह इन्डस्ट्रीज लगी हुई हों।

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, ऐसा कोई कानून नहीं है और न ही ऐं सा हानून बनाना उचित ही रहेगा। हरेक स्टेट कोशिश करती है कि उनकी स्टेट में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज पनपे। इसके लिये हर राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा इनसैन्टिवज देने की कोशिश करता है। वह हर काम जिससे डिस– इनसैन्टिव हो या कोई रुकावट वाली बात हो जिसकी वजह से एन्टरप्रिन्योर डिस्करेजमैन्ट फील करे ऐसा काम फोर्स करना उचित नहीं होता। इसलिये इस प्रकार की

कोई कानूनी पाबन्दी लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे हरियाणा राज्य में इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

श्री हीरा नन्द आर्यः जिन लोगों की भूमि इंडस्ट्रीज लगाने के लिये ऐक्वायर की जाती है, क्या उनको भी इंडस्ट्रियल प्लौट देने का कोई प्रावधान है?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, इस प्यायंट पर जनरल डिस्कशन काफी हो चुकी है। मूल सवाल दो गन्नौर के संबंध में था। बहरहाल, स्पीकर साहब, मैं हाउस को इस बारे में बताना चाहूंगा कि इस में पाबन्दी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जिनकी जमीन ऐक्वायर की जाती है, उनको प्लौट देने में हम प्रैफरैन्स देने की कीशिश करते हैं।

श्री आत्मा राम गोदाराः मन्त्री महोदय ने अभी बताया है कि उस एरिया के लोगों को एम्पलायमैंट देने के लिए कानून बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब इन्डस्ट्री लगाने से पहले स्टेट का इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ ऐग्रीमैंट होता है, क्या उस ऐग्रीमैंट में इस तरह का प्रावधान नहीं किया जा सकता कि उस एरिया के लोगों को एम्पलायमैंट मिल सके?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है कि ऐसा करना उचित नहीं रहेगा।

श्री भाग मलः स्पीकर साहब, काला अम्ब के पास हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लोगों को कई प्रकार के बैनिफिट्स और रियायतें

देकर इंडस्ट्रीज लगाई हैं। उस एरिया के साथ ही हमारा इलाका भी लगता है जो कि नारायणगढ़ का पिछड़ा हुआ एरिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की कोई ऐसी स्कीम है जिसके द्वारा उस एरिया में हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रीज के पैरेलल इंडस्ट्रीज लगा कर हम अपने इस एरिया को उन्नत कर सकें और वहां के लोगों को रोजगार भी मिल सके?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, हमारी स्टेट के साथ तीन ऐसे एरियाज हैं जहां काफी तेजी से इंडस्ट्रीज लगी हैं। काला अम्ब और परवाणु हिमाचल प्रदेश के एरियाज हैं, नोयडा उत्तर प्रदेश का एरिया है और भिवाड़ी राजस्थान का एरिया हे जो कि हमारे धारूहेड़ा के नजदीक पड़ता है। इन स्थानों पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स का विकास हरियाणा के मुकाबले में ज्यादा हुआ है। इसकी दो–तीन वजुहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि इन स्थानों पर बिजली की सप्लाई कम्फर्टेबल है और इसके मुकाबले हरियाणा में काफी कम है 1 इसके अलावा उन स्टेटों ने कुछ ओर इन्सैन्टिवज भी दिए हैं जिसमें पांच साल तक सेल्ज टैक्स की ऐग्जम्पशन भी शामिल है। यह बहुत बड़ा इन्सैन्टिव है। स्पीकर साहब, पिछले दिनों मैंने अपने महकमे के लोगों को आदेश दिए हैं कि वे एक सूची तैयार करें कि ऐडज्वायनिंग स्टेट्स में जहां इंडस्ट्रियल एरिया काफी तेजी से डिवैल्प हुआ है, वहां क्या–क्या इन्सैन्टिवज दिए जा रहे हैं। जिस की वजह से काफी बिजनैसमैन वहां तेजी से इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने के लिए आकर्षित हो रहे हैं ताकि हम भी ऐसे इन्सैन्टिवज अपने हरियाणा प्रान्त में दें जिससे हरियाणा में

भी इंडस्ट्रीज की डिवैल्पमैंट हो सके। यह सारा मामला विचाराधीन है और मैं आशा करता हूं कि इस बारे में अन्तिम फैसला हम जल्दी ही ले लेगे।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, रूरल एरियाज में जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, उसके लिए ऐसा नियम है कि इंडस्ट्री की बिल्डिंग बनाने के लिए टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग से एन०ओ०सी० लेना जरूरी है। इस प्रकार के कई उद्योग हैं जिनका लाईसैस तो इंडस्ट्री विभाग से मिल जाता है लेकिन टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग से एन०ओ०सी० लेने में लोगों को भारी परेशानी होती है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे कोई पग उठाए जा रहे हैं जिससे इस प्रकार की परेशानी से बचा जा सके?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, वैसे तो उचित रहता कि आदरणीय सदस्य महोदय यह सवाल अलग से पूछते लेकिन फिर भी जहां तक मेरे को जानकारी है मैं बता देता हूं। हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट की जो लैड के लिए कनवर्शन होती है उसकी टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट से परमिशन लेनी होती है। इस कारण से कई बार मामला डिले हो जाता है। अगर कहीं पर कोई गंभीर स्थिति हो वह हमारे नोटिस में ला दी जाए, हम उसे देख लेंगे।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हू कि चौधरी जगपाल सिंह ने जो सोने की इतनी मोटी

अंगूठी पहन रखी है क्या यह इनको वर्ल्ड बैक ने दी है या हमें यह बताया जाए कि यह किस आदमीं को मिलती है? (हंसी)

Difference in water rates

***219@ Shri Bhagwan Salmi and Shri Udai Bhan :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any difference in the water rates being charged in respect of the Agra canal and other canals in the State ; if so, the details there of ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): हां जी।

भिन्न–भिन्न सिस्टमों पर पानी की वसूली की दरों का ब्योरा निम्न प्रकार है:–

क्रमांक	फसल का नाम	बहाव सिंचाई के लिए पानी की दरें (रुपए प्रति एकड़)		
		भाखड़ा नहर	पश्चिमी यमुना नहर	आगरा नहर
1	2	3	4	5
1.	गन्ना	40.00	34.00	96.00
2.	चावल	30.00	30.00	58.00
3.	कपास	25.00	25.00	23.00

4.	गेहूं	25.00	18.00	58.00
5.	सब्जियां	25.00	25.00	58.00
6.	मक्का	20.00	20.00	35.00
7.	बाग और बगीचे	25.00	25.00	58.00
8.	गेहूं तथा चने के अतिरिक्त दूसरी रबी की फसलें, खरीफ चैनलों पर	13 00	9.00	43:00

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी के जवाब के मुताबिक आगरा कैनाल के वाटर रेटस भाखडा और जमुना कैनाल के रेटस से दो गुना तीन गुना और पांच गुना हैं। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस अन्तर को देखते हुए सरकार किसानों को राहत पहुंचाएगी? अगर पहुंचाएगी तो फरीदाबाद के किसानों के लिए क्या राहत होगी और उसकी हम कब तक उम्मीद करें?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आगरा कैनाल यू०पी० की कैनाल है। इसका ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल हासिल करने के लिए 1962 से ही कोशिश चल रही है। जब हम पंजाब का हिस्सा थे तो 1962 में सब से पहले इसके लिए मूव किया गया था कि इसका कन्ट्रोल पंजाब को दे दिया जाए। जब हरियाणा बना तो उसके बाद जितनी मीटिंगें हुई होंगी उनका नम्बर देना भी संभव नहीं होगा। अभी मौजदूा सरकार आने

के बाद पिछली बार अक्तूबर, 1987 में एक मीटिंग फिर हुई जिसमें हमें कहा गया है कि हम. नई प्रपोजल पुट अप करें कि किस प्रकार इसका ऐडमिनिस्टेरटिव कन्ट्रोल हरियाणा प्रान्त को दिया जाए। वह प्रपोजल इन प्रोसैस है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल हमारे पास आ जाए। ऐसा न होने से फरीदाबाद के किसानों को वाकया ही बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब न तो उस कैनाल की मौड्रेनाइजेशन हो सकती है, न पानी की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है और जो खाल उससे निकलते हैं उनकी लाइनिंग भी नहीं हो सकती है। हरियाणा और यू०पी० के पानी के रेटस में बहुत अन्तर है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश जारी है कि किसी प्रकार इसका ऐडमिनिस् टेरटिव कन्ट्रोल हरियाणा के पास आ जाए। जहां तक राहत देने का सवाल है, इतके लिए कोई तरीका तो नजर नही आता लेकिन चूंकि फरीदाबाद के सभी एम०एल०एज० इस बारे में बहुत चिन्तित हैं, गुड़गांव के एम०एल०एज० भी बहुत चिन्तित हैं इसलिए मैं इस बारे में मुख्य मन्त्री जी से बात करूंगा और अगर रिलीफ देने का कोई तरीका निकला तो उस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, श्री रावत जी के प्रश्न के जवाब में चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने बड़ी डिटेल में बताया है कि भाखड़ा कैनाल तथा जमुना कैनाल के पानी से आगरा कैनाल के पानी के रेटस में कितना अन्तर है? मैं इनसे एक सिम्पल सी बात पूछना चाहता हू कि इस डिफरैस के कारण क्या हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः आगरा कैनाल के और हमारे सिस्टम के डिफरैंस के बारे में तो सिम्पल सी बात है कि उनके रेट्स अपने हैं और हमारे रेट्स अपने हैं। उत्तर प्रदेश ने अपने रेट्स बनाए हुए हैं और हरियाणा प्रदेश ने अपने रेट्स बनाए हुए हैं।

श्री नर सिंह ढांडाः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया है कि गन्ने के बारे में भाखड़ा नहर से अगर सिंचाई की जाए तो 40 रुपए का रेट है और अगर पश्चिमी यमुना नहर से की जाए तो 34 रुपए का रेट है। कई बार पश्चिमी यमुना नहर का पानी चौमासे के दौरान भाखड़ा की जगह चलता है। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि ऐसी जगहों पर पश्चिमी यमुना नहर के रेट्स लगाए जाते हैं या भाखड़ा नहर के ही रेट्स लगते रहते हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इन रेट्स में फर्क है। यह तो कभी– कभार ही होता है कि एक सिस्टम का पानी दूसरे सिस्टम में चला जाए। फर्क इसलिए रखा गया है कि भाखड़ा की इन्टैंसिटी 62 परसैटं है जबकि पश्चिमी यमुना नहर की इन्टैंसिटी 50 परसैटं है। (व्यवधान व शोर)

श्री टेक चन्दः स्पीकर साहब, हरियाणा में अभी तक भी कुछ जिलों में वाटर रेट्स के अलावा किसानों से बैटरमैंट लैवी के नाम से टैक्स लिया जाता है। क्या सरकार के विचाराधीन कोई प्रोपोजल है कि उस बैटरमैंट लैवी को समाप्त किया जाए?

श्री वीरेन्द्र सिंहः मेरे ख्याल में हरियाणा में कहीं पर भी बैटरमैंट लैवी वसूल नहीं की जाती है। अगर कहीं पर वसूल की जाती हो, तो नै न साहब बता दें, पता लगा लेगे। जब हम पढ़ते थे, तभी चौधरी देवी लाल जी ने इसके लिए संघर्ष किया था और यह वापिस हो गयी थी। लेकिन अगर कहीं पर आज भी हो, तो यह बता दें, हम पता कर लेगे।

श्री आत्मा राम गोदाराः स्पीकर साहब, आगरा कैनाल के हरियाणा में रेट्स अलग हैं और यू०पी० में रेट्स दूसरे हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि हरियाणा में आगरा कैनाल के रेट्स दूसरे हैं और यू०पी० में दूसरे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह तो मैंने बता दिया है कि बहुत फर्क है। यह कैनाल ही यू०पी० की है। यू०पी० वाले हरियाणा के लोगों से चार्ज करते हें।

श्री हीरा नन्द आर्यः मन्त्री महोदय ने बताया है कि चूंकि यू०पी० के लोग आगरा कैनाल के चार्जिज लगाते हैं इसलिए वे अधिक हैं। लेकिन हरियाणा में ही हरियाणा के लोगों को गले के लिए भाखड़ा नहर से पानी लेने के लिए 40 रुपए और पश्चिमी यमुना नहर से पानी लेने के लिए 34 रुपए देने पड़ते हैं। इसी तरह से गेहूं के लिए भाखड़ा नहर से पानी लेने के लिए 25 रुपए और पश्चिमी यमुना नहर से पानी लेने के लिए 18 रुपए देने पड़ते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन चार्जिज को बराबर यानी यकसां क्यों नहीं किया जा सकता?

श्री वीरेन्द्रसिंहः यह रेट्स कम और ज्यादा इन्टैंसिटी के कारण हैं।

श्री भगवान सहाय रावतः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से एक सवाल मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। आगरा कैनाल के अन्दर टोटल 16 डिस्ट्रिब्यूट्रीज हैं। एक से लेकर 8 डिस्ट्रिब्यूट्रीज तो पूर्णतया हरियाणा में हैं। 8 से लेकर 11 डिस्ट्रिब्यूट्रीज 99. 5 प्रतिशत हरियाणा का एरिया इरीगेट करती हैं। 8 से लेकर 11 डिस्ट्रीव्यूट्रीज का मैंनेजमेंट कम्बाइन किया गया था। लेकिन मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा के ज्यादा एरिया को ध्यान में रखते हुए एक से लेकर ग्यारह डिस्ट्रिव्यूट्रीज का ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए सरकार प्रयास करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि पिछले 26 साल से यह प्रयास चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा।

Mr. Speaker : Question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Homoeopathic Dispensaries

***209. Shri Lachhman Das Bajaj : Will the Minister** for Health be pleased to state the places where Homoeopathic Dispensaries have been opened or are proposed to be opened in the State during the current financial year ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मन्त्री (श्रीमती कमला वर्मा): सरकार द्वारा कोई होम्योपैथिक औषधालय नहीं खोला गया है और ना ही सरकार का चालू वित्त वर्ष में कोई होम्योपैथिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है।

Government High School, Tohana

***204, Comrade Harpal Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there are any Government High Schools in Tohana constituency where 10+2 classes have been started ; if so, the number and names thereof ; and

(b) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons thereof ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खुरशीद अहमद):

(क)जी हां, भूना में एक ऐसा राजकीय उच्च विद्यालय है।

(ख)ऊपर क के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Civil Dispensaries/Primary Health Centres in the State

44. Shri Durga Datt Attri : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the number of such villages in the state as have Civil Dispensaries/Ayurvedic Dispensaries/Primary Health Centres, separately ;

(b) whether there are any villages in the State as have no Primary Health Centres; and

(c) if so, the names thereof together with the time by which the said centres are likely to be set up ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मन्त्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क)

गांवों की संख्या जिनमें ऐलोपैथिक औषधालय हैं:	37
गांवों की संख्या जिनमें आयुर्वैदिक औषधालय हैं:	386
गांवों की संख्या जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं:	245

(ख)हां।

(ग)जिन 6472 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, उनकी सूचि संलग्न है।

2000 ई० तक सभी गांवों को स्वास्थ्य प्रोग्राम के अन्तर्गत, प्रत्येक 30,000 ग्रामीण आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रदान किया जाना है। इस आधार पर, राज्य की 1990 ई० की अनुमानित ग्रामीण आबादी पर कुल 394 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित होने हैं।

Primary Health Centre Bohara Kalan

52. Shri Shiv Lal : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a building for Primary Health Centre at Village Bohara Kalan, Tehsil and District Gurgaon ;

(b) if so, the time by which its construction is likely to be started/ completed; and

(c) whether the building of Primary Health Centres at Farukh Nagar and Haily Mandi in District Gurgaon have been completed, if so, the time by which the said Centres are likely to start functioning there ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मन्त्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क)बोहड़ा कलां में ग्राम पंचायत के भवन में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले ही कार्यरत है। इस भवन के साथ 6,21,000 रुपए की लागत से एक ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख)ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण धन उपलब्धि की स्थिति में दो वर्षों में पूर्ण होने की संभावना है।

(ग)हेली–मण्डी में श्री बिहारी लाल जैन धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा दान किए गए भवन में 25 बिस्तरों का हस्पताल कार्यरत है तथा

फरुखनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत के भवन में कार्यरत है। ज्यों ही नया भवन पूर्ण हो जाएगा, यह उस में कार्य करने लगेगा।

Audit of Cooperative Institutions

53. Shri Shiv Lal : Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(a) the agency which conduct the audit of Cooperative Institutions at present ;

(b) the agency which examines the audit report of said institutions; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute any statutory agency on the pattern of the Maharashtra Government to examine the audit report of such Institutions ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (डा० रघुबीर सिंह):

(क)रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, चण्डीगढ़।

(ख)रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, चण्डीगढ़।

(ग)नहीं।

Amount of bad & doubtful debt of Primary Coop. Societies and Central Coop. Banks

54. Shri Shiv Lal : Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(a) the total upto-date amount of bad and doubtful

debt-

(i) at the level of Central Cooperative Societies, and

(ii) at the level of Central Cooperative Banks, separately, in the State ;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to remit the overdues of the Central Cooperative Banks; and

(c) the steps, if any, taken or proposed to be taken to re-vitalize and improve the functioning of the said. Banks ?

Interim Reply

"**D.O. No. 1280-C-VII-88/9699**

Dr. Raghubir Singh
M.Sc.. L.L.B., Ph.D.

Minister of State for
Cooperation, Haryana.

Dated : 21-3-88

My dear Speaker Sahib,

Kindly refer to the un-starred Assembly Question No. 54 asked by Shri Shiv Lal, M. L. A. regarding amount of Bad and Doubtful Debts, which is due for answer in the Haryana Vidhan Sabha on 22-3-1988.

2. In this connection I am to inform you that the desired information is being collected from the field and it is likely to take some time. May I therefore, request that an extension for one month may please be accorded.

With kind regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Dr. Raghuvir Singh)

Shri H. S. Chatha,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

CHANDIGARH."

Promotion of Sanitary Inspectors

55. Shri Shiv Lal : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the post/posts to which the Sanitary Inspectors are promoted;

(b) the number of Sanitary Inspectors, if any, promoted to such posts, separately, during the last 10 years; and

(c) whether it is a fact that some junior Sanitary Inspectors have been given the powers of Food Inspectors; if so, the reasons therefor ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मन्त्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क) वर्ष 1984 में बहु उद्देशीय स्वास्थ्य योजना के लागू हो जाने के पश्चात् सफाई निरीक्षकों के पद नाम बहु उद्देशीय स्वास्थ्य

प्रवेक्षक (पुरुष)रखा गया है। इस योजना के लागू होने से पहले सफाई निरीक्षकों को प्रयोगशाला तकनीशियन (मलेरिया)एवं प्रवर सफाई निरीक्षक/प्रवर मलेरिया निरीक्षक के पदों पर पदोन्नत किया जाता था।

(ख) बतौर प्रयोगशाला तकनीशियन (मलेरिया)34

बतौर प्रवर सफाई निरीक्षक/प्रवर मलेरिया निरीक्षक ३1

(ग) जी हां। केवल उन सफाई निरीक्षकों, जिन्होंने खाद्य पदार्थों के नमूने लेने का 90 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, को खाद्य शक्तियां दी गई हैं।

Unemployment in the State

65. Shri Raghu Yadav : Will the Minister of State for Co-operation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is problem of serious unemployment in the State ;

(b) if so, the steps so far taken or proposed to be taken to tackle this problem ; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to dispense with the fee charged with the application forms for various posts; if so, the time by which a decision in the matter is likely to be taken ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (डा० रघुवीर सिंह):

(क) राज्य में बेरोजगारी की समस्या गम्भीर प्रकृति की नहीं है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों, जिनमें शिक्षित, तकनीकी शिक्षा प्राप्त तथा अल्प व आशिक रूप से रोजगार पर लगे व्यक्ति भी शामिल हैं, को पारिश्रमिक आधार पर रोजगार तथा स्वः रोजगार प्रदान करने हेतु विभिन्न विशेष रोजगार कार्यक्रमास्कीम्ज चलाई जा रही हैं। ये स्कीम्ज इस प्रकार हैं –

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतया बेरोजगारों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों को दीर्घकालीन सामुदायिक निर्माण कार्यों तथा आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ करके पारिश्रमिक आधार पर रोजगार प्रदान करना है। वर्ष 1985–86 तथा 1986–87 की अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार/ ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रमों के अधीन 63.81 लाख मानव दिवस के बराबर रोजगार अवसरों का निर्माण हुआ। वर्ष 1987–88 में इन कार्यक्रमों के अधीन 80. 00 लाख मानव दिवस के बराबर पारिश्रमिक आधार पर अतिरिक्त रोजगार अवसरों के निर्माण होने की संभावना है। (इसमें सूखा पीड़ित सहायता कार्यों के अन्तर्गत निर्मित होने वाले रोजगार अवसरों की सूचना भी सम्मिलित है)।

2. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसमें ग्रामीण युवकों को स्वः रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों

तथा बच्चों के विकास संबंधी उप–स्कीम्ज भी शामिल हैं, का उद्देश्य 3500 रुपए तक की वार्षिक आय (संशोधित सीमा 6400 रुपए है सहायता के लिए कट आफ सीमा 4800 रुपए है)वाले छोटे तथा सीमान्त किसान परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए लाभप्रद आर्थिक क्रिया– कलापों द्वारा आय तथा रोजगार उत्पत्ति में सहायता प्रदान करना है। वर्ष 1985–86 से 1986–87 तक की अवधि में 98916 गरीब परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 1987–88 में 49438 अतिरिक्त गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करने की संभावना है।

3. वर्ष 1985–86 से 1987–88 तक विभिन्न स्वः रोजगार स्कीम्ज (सूचि संलग्न)के अधीन 1,8०,467 शिक्षित, तकनीकी शिक्षा प्राप्त तथा दक्ष/अर्धदक्ष व्यक्तियों को पारि– श्रमिक आधार पर स्वः रोजगार ईकाईयों में रोजगार प्राप्त होने या उनके स्वः रोजगार ईकाईयों स्थापित करके स्वः रोजगार पर लग जाने का अनुमान है। जिला मानव शक्ति आयोजन एवं रोजगार उत्पत्ति कौंसिल्ज उन्हें बेरोजगार व्यक्तियों, विशेषकर शिक्षित तकनीकी शिक्षा प्राप्त को स्वः रोजगार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। ये कौंसिल्ज उन्हें संबंधित एजैन्सियों तथा वाणिज्य बैंकों से स्वः रोजगार के लिए वित्तीय सहायता/ लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है।

4. इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम, हरियाणा राज्य हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम तथा समाज कल्याण विभाग, विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण रोजगार उत्पादन केन्द्र चला रहे हैं। इन केन्द्रों से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति प्रशिक्षण के उपरान्त

पारिश्रमिक/वैतनिक रोजगार प्राप्त कर लेते हैं या फिर स्वः रोजगार ईकाईया स्थापित कर सकते हैं।

(ग) हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल हरियाणा द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्रों के साथ ली जाने वाली फीस को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

स्वः रोजगार स्कीम्ज

उद्योग विभाग

1. ग्रामीण उद्योग स्कीम्ज।

2. शिक्षित बेरोजगारों को मार्जिन मनी सहायता।

3. इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को ब्याज सबसिडी।

4. शिक्षित बेरोजगारों को स्वः रोजगार प्रदान करना।

पंजाब नैशनल बैक

5. शहरी गरीबों को स्वः रोजगार प्रदान करना।

हरियाणा वित्त विभाग

6. स्वः रोजगार के लिए उद्यमियों को ऋण देना।

हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

7. खादी व ग्रामोद्योगों का विकास।

दुग्धायुक्त हरियाणा

8. छोटी डेरी ईकाईयां स्थापित करना।

मछली पालन विभाग

9. मछली पालन ईकाईयों की स्थापना।

अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति कल्याण विभाग

10. हरिजन विधवाओं को टेलरिंग में प्रशिक्षण।

हरिजन कल्याण निगम

11. हरिजनों को मार्जिन मनी सहायता देना।

पिछड़ी जाति कल्याण निगम

12. पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को मार्जिन मनी सहायता देना।

हरियाणा स्त्री तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग कल्याण निगम

13. आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को मार्जिन मनी सहायता देना।

राज्य सैनिक बोर्ड

14. भूतपूर्व सैनिकों को ब्याज की रियायती दरों पर ऋण।

15. स्वः रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को तैयार करना।

Showing of Feature Films by Public Relations Department in Rewari Constituency

66. Shri Raghu Yadav : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of film projectors with the Public Relations Department at present togetherwith the places where these have been kept ;

(b) the total number of feature films with the said Department ; and

(c) the names of the villages of Rewari Constituency where these films were shown togetherwith their names and dates during the period from 15th August, 1987 to 15th February, 1988 ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल):

(क) लोक सम्पर्क विभाग के पास इस समय कुल 28 प्रोजैक्टरज हैं और ये जहां–जहां मौजूद हैं, उन का विवरण अनुबन्ध अ पर संलग्न है।

(ख) लोक सम्पर्क विभाग के पास कुल 26 फीचर फिल्में हैं।

(ग) रिवाड़ी निर्वाचन क्षेत्र के जिन–जिन गांवों में 15 अगस्त, 1987 से 15 फरवरी, 1988 के दौरान जो फीचर फिल्में दिखाई

गई, उनका विवरण, फिल्म के नाम तथा उन के दिखाने की तिथि सहित विवरण, अनुबन्ध ब पर संलग्न है।

अनुबन्ध अ

लोक सम्पर्क विभाग में मौजूद फिल्म प्रोजैक्टरों का स्थानों सहित विवरण –

संख्या	स्थान का नाम
1	अम्बाला
1	जगाधरी
1	कुरुक्षेत्र
1	कैथल
1	करनाल
1	पानीपत
1	सोनीपत
1	रोहतक
1	झज्जर
2	गुडगांव

1	फिरोजपुर
1	झिरका
1	फरीदाबाद
1	नारनौल
1	रिवाड़ी
1	भिवानी
1	दादरी
1	लोहारु
1	हिसार
1	फतेहाबाद
1	सिरसा
1	डबवाली
1	जीन्द
1	नरवाना
4	चण्डीगढ (मुख्यालय)

28	

अनुबन्ध ब

रिवाड़ी निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में 15 अगस्त, 1987 से 15 फरवरी, 1988 तक की अवधि के दौरान दिखाई गई फिल्मों के नाम तथा उनके दिखाने की तिथियों का विवरणः–

क्रमांक	गांव का नाम	फिल्म	तिथि
1.	नया गांव	अनजाने में	21–9–87
2.	खुडक्कावास	अनजाने में	22–9–87
3.	डवाणा	अनजाने में	8– 11– 87
4.	फिदेड़ी	अनजाने में	9– 11– 87
5.	डुगरवास	अनजाने में	1–11– 87

इसके अलावा, यह फीचर फिल्म रिवाड़ी नगर में निम्नलिखित तिथियों को दिखाई गई –

28-9-87

29-9-87

11-10-87

12-10-87

15-10-87

26-10-87

12-11-87

20-11-87

21-11-87

23-11-87

25-11-87

8-12-87

9-12-87

10-12-87

16-12-87

17-12-87

18-12-87

1-2-88

4-2-88

5-2-88

8-2-88

Providing of Employment through Employment Exchanges

67. Shri Raghu Yadav : Will the Minister of State for Co-operation be pleased to state—

(a) the number of Employment Exchanges in the State

as at present ;

(b) the Employment Exchange-wise number of educated and uneducated persons registered with them during the period from 15th June, 1987 to 15th February, 1988; and

(c) the names of the persons, out of those as referred to in part (b) above, provided employment during the said period separately ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (डा० रघुवीर सिंह):

(क) राज्य में इस समय 91 रोजगार कार्यालय हें जिसमें से 84 रोजगार कार्यालय आवेदकों को पंजीकरण एवं नियुक्तियां संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। 4 उप–रोजगार कार्यालय अपने क्षेत्र के बेरोजगारों को पंजीकरण सहायता प्रदान करते हैं और उनका पंजीकरण रिकार्ड अपने पैतृक रोजगार कार्यालय को भेज देते हैं। इनके अतिरिक्त राज्य रोजगार कार्यालय, हरियाणा, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय तथा अपंग प्रार्थियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय चण्डीगढ़ में कार्यरत हैं जो कुछ विशेष वर्ग के प्रार्थियों का पंजीकरण रिकार्ड रखते

(ख) दिनांक 1–6–87 से 31– 1–88 तक रोजगार कार्यालय अनुसार कुल पंजीकृत प्रार्थियों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्रमांक	रोजगार कार्यालय का नाम	पंजीकृत प्रार्थियों की

		संख्या
1	2	3
1	मण्डल रोजगार कार्यालय, अम्बाला	10151
2	मण्डल रोजगार कार्यालय, यमुनानगर	7513
3	मण्डल रोजगार कार्यालय, हिसार	8260
4	मण्डल रोजगार कार्यालय, फरीदाबाद	8240
5	मण्डल रोजगार कार्यालय, रोहतक	7885
6	मण्डल रोजगार कार्यालय, भिवानी	5582
7	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, कुरुक्षेत्र	114
8	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्ग दर्शन केन्द्र, रोहतक	449
9	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, हिसार	204
10	जिला रोजगार कार्यालय, कुरुक्षेत्र	2431
11	जिला रोजगार कार्यालय, करनाल	5788

12	जिला रोजगार कार्यालय, पानीपत	6215
13	जिला रोजगार कार्यालय, सोनीपत	5128
14	जिला रोजगार कार्यालय, जीन्द	5188
15	जिला रोजगार कार्यालय, गुड़गांवा	5485
16	जिला रोजगार कार्यालय, नारनौल	5078
17	जिला रोजगार कार्यालय, रिवाड़ी	3940
18	जिला रोजगार कार्यालय, सिरसा	4808
19	नगर रोजगार कार्यालय, पंचकूला	4076
20	नगर रोजगार कार्यालय, कैथल	3897
21	नगर रोजगार कार्यालय, बहादुरगढ़	2166
22	नगर रोजगार कार्यालय, झज्जर	2542
23	नगर रोजगार कार्यालय, गोहाना	5358
24	नगर रोजगार कार्यालय, नरवाना	2557
25	नगर रोजगार कार्यालय, चरखी–दादरी नगर	5380
26	रोजगार कार्यालय, बल्लभगढ़	1676

27	नगर रोजगार कार्यालय, टोहाना	1871
28	नगर रोजगार कार्यालय, फतेहाबाद	3566
29	नगर रोजगार कार्यालय, हांसी नगर	5455
30	रोजगार कार्यालय, पलवल	2450
31	नगर रोजगार कार्यालय, डबवाली	2765
32	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, बराड़ा	1473
33	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, छछरौली	1645
34	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कालका	1528
35	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, मोरनी	584
36	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, नारायणगढ़	1870
37	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, रायपुर रानी	1034
38	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, सढौरा	589
39	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, गुल्हा	1221
40	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, लाडवा	1095
41	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पेहवा	1389

42	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पुण्डरी	2712
43	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, रादौर	1337
44	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, शाहबाद	1800
45	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, असन्ध	1613
46	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, इन्द्री	1317
47	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, घरौडा	2430
48	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, नीलोखेडी	1507
49	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, निसंग	654
50	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, समालखा	1714
51	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, बेरी	1759
52	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कलानौर	1868
53	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कोसली	1256
54	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, महम	2952
55	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, मातनहेल	1164
56	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, गन्नौर	2101

57	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, खरखोदा	1475
58	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, राई	997
59	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, जुलाना	1551
60	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कलायत	1654
61	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पिल्लूखेड़ा	1156
62	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, सफीदों	1447
63	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, उचाना	1699
64	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, बवानीखे डा	1636
65	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, लोहारू	1298
66	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, सिवानी	1671
67	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, तोशाम	1236
68	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, फिरोजपुर–झिरका	1061
69	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, नूह	1380
70	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पटौदी	990
71	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पुन्हाना	1252

72	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, सोहना	1083
73	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, तावडू	877
74	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, हथीन	1307
75	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, होडल	2280
76	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, तिगांव	410
77	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, वावल	932
78	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, जाटुसाना	1438
79	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, महेन्द्रगढ़	3853
80	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, आदमपुर	1641
81	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, रतिया	831
82	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, उकलाना मण्डी	1235
83	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, एलनाबाद	1180
84	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कालांवाली	743
	योग :	213143

नोट : (1)उपरोक्त सूचना मासिक आधार पर एकत्रित की जाती है अतः 1–2–88 से 15–2–88 तक की सूचना उपलब्ध न है।

(2)शिक्षित एवं अशिक्षित पंजीकृत एवं नौकरी पर लगे प्रार्थियों बारे अलग से सूचना मासिक आधार पर एकत्रित नहीं की जाती। शिक्षित प्रार्थियों बारे सूचना अर्धवार्षिक आधार पर (अवधि समाप्ति जून व दिसम्बर)एकत्रित की जाती है अतः यह सूचना अलग–अलग 1 5–6– 1987 से 15–2–88 की उपलब्ध न है। जिला स्तरीय रोजगार कार्यालय संकलित सूचना भेजते हैं।

(ग)1 जून, 87 से 31 जनवरी, 88 की अवधि में रोजगार कार्यालय अनुसार नौकरी पर लगे प्रार्थियों की सूचना इस प्रकार है:–

क्रमांक	रोजगार कार्यालय का नाम	रोजगार पर लगे प्रार्थियोंकी संख्या
1	2	3
1	मण्डल रोजगार कार्यालय, अम्बाला	216
2	मण्डल रोजगार कार्यालय, यमुनानगर	362
3	मण्डल रोजगार कार्यालय, हिसार	280
4	मण्डल रोजगार कार्यालय, फरीदाबाद	811
5	मण्डल रोजगार कार्यालय, रोहतक	203

6	मण्डल रोजगार कार्यालय, भिवानी	180
7	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, कुरुक्षेत्र	12
8	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्ग दर्शन केन्द्र, रोहतक	53
9	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, हिसार	8
10	जिला रोजगार कार्यालय, कुरुक्षेत्र	141
11	जिला रोजगार कार्यालय, करनाल	597
12	जिला रोजगार कार्यालय, पानीपत	321
13	जिला रोजगार कार्यालय, सोनीपत	176
14	जिला रोजगार कार्यालय, जीन्द	90
15	जिला रोजगार कार्यालय, गुड़गांवा	151
16	जिला रोजगार कार्यालय, नारनौल	313
17	जिला रोजगार कार्यालय, रिवाड़ी	145
18	जिला रोजगार कार्यालय, सिरसा	208

19	नगर रोजगार कार्यालय, पंचकूला	105
20	नगर रोजगार कार्यालय, कैथल	126
21	नगर रोजगार कार्यालय, बहादुरगढ़	117
22	नगर रोजगार कार्यालय, झज्जर	153
23	नगर रोजगार कार्यालय, गोहाना	191
24	नगर रोजगार कार्यालय, नरवाना	73
25	नगर रोजगार कार्यालय, चरखी–दादरी नगर	116
26	रोजगार कार्यालय, बल्लभगढ़	62
27	नगर रोजगार कार्यालय, टोहाना	63
28	नगर रोजगार कार्यालय, फतेहाबाद	127
29	नगर रोजगार कार्यालय, हांसी नगर	173
30	रोजगार कार्यालय, पलवल	86
31	नगर रोजगार कार्यालय, डबवाली	23
32	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, बराड़ा	140
33	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, छछरौली	81

34	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कालका	90
35	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, मोरनी	32
36	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, नारायणगढ़	90
37	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, रायपुर रानी	160
38	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, सढौरा	67
39	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, गुल्हा	86
40	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, लाडवा	55
41	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पेहवा	54
42	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पुण्डरी	68
43	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, रादौर	68
44	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, शाहबाद	115
45	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, असन्ध	70
46	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, इन्द्री	134
47	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, घरौडा	162
48	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, नीलोखेडी	171

49	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, निसंग	92
50	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, समालखा	119
51	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, बेरी	57
52	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कलानौर	82
53	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कोसली	46
54	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, महम	68
55	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, मातनहेल	52
56	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, गन्नौर	118
57	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, खरखोदा	86
58	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, राई	36
59	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, जुलाना	25
60	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कलायत	18
61	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पिल्लूखेड़ा	9
62	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, सफीदों	35
63	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, उचाना	13

64	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, बवानीखे डा	13
65	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, लोहारू	44
66	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, सिवानी	16
67	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, तोशाम	23
68	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, फिरोजपुर–झिरका	95
69	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, नूह	82
70	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पटौदी	70
71	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पुन्हाना	52
72	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, सोहना	57
73	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, तावडू	30
74	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, हथीन	72
75	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, होडल	62
76	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, तिगांव	11
77	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, वावल	33
78	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, जाटुसाना	23

79	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, महेन्द्रगढ़	100
80	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, आदमपुर	21
81	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, रतिया	24
82	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, उकलाना मण्डी	61
83	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, एलनाबाद	4
84	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कालांवाली	7
	योग :	9081

नोटः— 1. रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत प्रार्थियों का नौकरी पर लगना निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए जो प्रार्थी इस अवधि में नौकरी पर लगे हैं आवश्यक नहीं कि वे वही प्रार्थी हों जिन्होंने इस अवधि में अपना पंजीकरण करवाया है।

2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार पर लगे प्रार्थियों के नामों बारे सूचना एकत्रित नहीं की जाती। नौकरी पर लगे हजारों प्रार्थियों के नामों बारे सूचना के एकत्रण, संकलन तथा सूचियां तैयार करने में जितना समय तथा श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

Labourers working in Factories

59. Shri Harnam Singh : Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(a) the total number of labourers working on permanent basis in the factories of Haryana as at present ; and

(b) the number of labourers, out of those referred to in part (a) above, who are working on contract and casual basis, separately ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (डा० रघुवीर सिंह):

(क)2,75,000 आकस्मिक तथा ठेकेदारों के श्रमिकों सहित।

(ख)4,610 श्रमिक ठेकेदारों द्वारा लगाए गए। आकस्मिक श्रमिकों की अलग से कोई भी सूचना तैयार नहीं की जाती।

Meternity Centres in the State

60. Shri Harnam Singh : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the total number of Government Maternity Centres in Rural and Urban areas, separately, in the State ;

(b) the number of mid-wives working in the said Centres ;

(c) the total number of children born during the year 1987 ; together with the number of them born in the Centres, as referred to in part (a) above, separately ; and

(d) the number of women and children, separately, who

died at the time of delivery during the period as referred to in part (c) above ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मन्त्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क) हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 253 सरकारी प्रसूति केन्द्र तथा शहरी क्षेत्रों में 82 सरकारी प्रसूति केन्द्र हैं।

(ख) उपरोक्त केन्द्रों में 300 आग्जलरी नर्स मिडवाईफ (ए०एन०एम०)कार्यरत हैं।

(ग) वर्ष 1987 में हरियाणा राज्य में पैदा हुए बच्चों की सूचना एकत्रित की जा रही है। उपरोक्त क में वर्णित केन्द्रों में वर्ष 1987 में 37,165 बच्चे पैदा हुए।

(घ) वर्ष 1987 में राज्य में जितनी औरतें और बच्चे प्रसूति के समय मरे उसकी सूचना एकत्रित की जा रही है। उपरोक्त क में वर्णित प्रसूति केन्द्रों में वर्ष 1987 में 50 औरतें तथा 1,338 बच्चे प्रसूति के समय मरे।

Rape Cases

61. Shri Harnam Singh : Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the number of rape cases registered in the State during the year 1987 ;

(b) the number of cases, out of those as referred to in part (a) above, in which the culprits have been punished and

acquitted separately during the said period ;

(c) the number of cases out of those as referred to in part (a) above, which are undertrial in the courts as on 1.1. 1988 ; and

(d) the number of cases out of those as referred to in part (b) above, in which the culprits have been acquitted by the Session Court, the High Court and the Supreme Court separately ?

गृह मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) 138

(ख) 14 केसों में सजा हुई तथा 19 केसों में बरी हुये हैं।

(ग) 79

(घ) 19 (सभी अभियुक्त सैशन कोर्ट द्वारा बरी किए गए)

(उच्च न्यायालय से शून्य)

(सर्वोच्च न्यायालय से शून्य)

Dowry Murder Cases

62. Shri Harnam Singh : Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the number of women murdered on account of dowry disputes in the State during the year 1987 ;

(b) the number of culprits punished in the said cases ;

(c) the number of persons acquitted in the said cases ;

.

(d) the number of cases which are undertrial ;

(e) the number of culprits acquitted in appeals by the High Court ; and

(f) the number of persons whose punishment was upheld and increased, separately ?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) 77

(ख) 12

(ग) 50

(घ) 43

(ड) शून्य, और

(च) शून्य।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन है कि हरियाणा में कई दिनों से वकीलों की हडताल चल रही है....

श्री अध्यक्ष: कई महीनों से चल रही है।

श्री मंगल सैनः आप भी वकील हैं इसलिए आपके नोटिस में यह लाना जरुरी था।

श्री अध्यक्षः डा० साहब, आपकी काल अटैन्शन मोशन मिल गई है और वह अन्डर कंसीडेरशन है।

श्री कैलाश चन्द शर्माः स्पीकर साहब, मैंने एक शोर्ट नोटिस क्वैश्चन दिया है, उसका क्या हुआ?

Mr. Speaker : That is under consideration.

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, सी० आर० पी० एफ० की भर्ती में हरियाणा के युवकों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। सी० आर० पी० एफ० की 11 नई बटालियने खड़ी की जा रही हैं जिनमें हरियाणा के मात 200 युवकों की भर्ती का कोटा दिया गया है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। मैंने एक काल अटैन्शन मोशन दिया था, उसका क्या हुआ?

Mr. Speaker : The comments of the Government have been received and the matter is being considered.

श्री रघु यादवः दूसरी टिम्बर मरचौटं वाली बात थी

श्री अध्यक्षः क्या आपने टिम्बर मरचौन्ट वाली बात अखबारों में नहीं पढ़ी है? वह मामला तो सैटल हो गया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भिवानी में पीलिया रोग के बारे में था।

श्री अध्यक्षः वह 23 तारीख के लिए ऐडमिटिड है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मुझे एक टेलीग्राम आया है, यह किसी महिला के साथ बलात्कार के बारे में है....

श्री अध्यक्ष: आप इसके बारे में लिख कर भेज दें।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, मेरा भी एक काल अटैन्शन मोशन था

श्री अध्यक्ष: यह गवर्नमेंट को भेज दिया है और अभी उसका रिप्लाई नहीं आया है।

वक्तव्य–

राजस्व मंत्री दारा भिवानी जिले में चारे के अनुदान को कथित कप से रोकने संबंधी

Mr. Speaker : Hon. Members, now the Revenue Minister will make a statement on the *Callrng Attention Motion No. 3 given notice of by Shri Jagan Nath, M.L.A. regarding alleged stoppage of fodder grant in Bhiwani district.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, अखबार में एक न्यूज आइटम था जिसमें चौधरी जगननाथ द्वारा फर्नीचर फैंकने के बारे में जिक्र था क्या उसका जवाब दिया जा रहा है.,....

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो सोच रहा था कि डा० साहब भी यह न्यूज आइटम पढ़ रहे होंगे। (विघ्न)

राजस्व मंत्री (श्री सूरज भान): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1987 में मौनसून की वर्षा लगभग पूर्ण रूप से न होने के कारण सारे राज्य में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण चारे की कमी उत्पन्न हो गई। उचित दरों पर चारा उपलब्ध करवाने के यह निर्णय लिया गया कि उपायुक्त चारा खरीद कर बिना लाभ तथा हानि के आधार पर पशु मालिकों को बेचेगे और इस पर आने वाले वाहन तथा अन्य खर्च राज्य सरकार द्वारा सहन किए जाएंगे।

2. तत्पश्चात् राज्य सरकार ने यह देखा कि पशु मालिकों की चारा खरीदने की क्षमता कम हो रही हे और मुआवजे के तौर पर केवल वाहन सबसिडी वर्तमान बाजार भाव को देखते हुए पर्याप्त नही है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि पशु मालिकों को 25 रुपए प्रति क्विंटल की नकद सबसिडी जोकि बाद में 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई, ताकि चारा 50 रुपए प्रति क्विंटल जनता को उपलब्ध हो सके। वाहन पर आने वाला पूर्ण खर्च राज्य सरकार द्वारा ही व्यय किया जाता रहेगा।

3. राज्य सरकार ने जिला भिवानी में सबसिडाईजड दरों पर चारा देना बन्द नहीं किया है। भारत सरकार से प्राप्त चारा सहायता के रूप में 420 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता में से अकेले जिला भिवानी को 215.26 लाख रुपया चारा सबसिडी के रूप में तथा 6 लाख रुपया आवारा तथा पलायन किए हुए पशुओं को मुक्त चारा देने के लिए प्रदान किए गए हैं और इस प्रकार इस जिले की कुल अलाटमैंट 221.26 लाख रुपए बन जाती है। उपायुक्त, भिवानी की रिपोर्ट के अनुसार 7–

3– 1988 तक 351298 क्विटल चारा बांटा जा चुका हे। जिस मर 176 लाख रुपया खर्च हुआ है। उपायुक्त, भिवानी से प्राप्त मांग अनुसार राज्य के बजट से 40.00 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि उन्हे स्वीकृत की गई है ताकि सबसिडाईजड दरों पर चारे के वितरण को जारी रखना सुनिश्चित किया जा सके।

4. राज्य सरकार जनता की कठिनाईयों से पूरी तरह अवगत है और इस– लिए सबसिडाईजड दरों पर चारा, जहां पर आवश्यक्ता है, बांटा जा रहा है। मैं इस अवसर पर सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा जनता की कठिनाईयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया है कि यह सबसिडी कंटीन्यू रखी जाएगी। यह बड़ी अच्छी बात है और सरकार कहत के बारे में और चारे के बारे में काफी कुछ कर रही है। मैं एक छोटी सी बात जोकि बहुत जरूरी है, कहना चाहता हूं। स्पीकर साहब, सबसिडी तो सरकार दे रही है लेकिन सबसिडी के साथ कुछ पैसा और भी चाहिए जिससे चारा खरीदा जा सके। अस्सी प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास चारा खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है। क्या मन्दी महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन किसानों को तकावी के रूप में चारा देने की कृपा करेंगे?

श्री सूरज भानः स्पीकर साहब, 50 रुपए क्विटल तक किसानों को अपनी जेब से देना पड़ेगा। 40 रुपए तक सबसिडी तो हमने दी है

इससे ज्यादा हम नहीं दे सक्ते। 4 करोड़ 20 लाख रुपया जो इस काम के लिए था, वह खत्म हो रहा है अब हम अपने खजाने से भिवानी जिले के लिए 40 लाख रुपए की राशि ओर दे रहे हें।

वर्ष 1988– 89 का बजट पेश करना

श्री अध्यक्षः अब उप–मुख्य मन्त्री जी वर्ष 1988–89 का बजट प्रजैन्ट करेंगे।

उप–मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे गणमान्य साथियों इस गरिमामय सदन के सामने जून, 1987 के महीने में हमारी सरकार द्वारा पदभार संभालने के बाद पहली बार वर्ष 1988–89 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने को मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। (तालियां)

वर्ष 1987– 88 हरियाणा के इतिहास में युगान्तरकारी रहा है। जनता से बेमिसाल और विशाल बहुमत प्राप्त करने के बाद लोकदल–भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार ने जून 1987 में पदभार संभाला। हरियाणा की जनता के इस सूझबूझ पूर्ण निर्णय से देश के दूसरे भागों में महत्वपूर्ण राजनैतिक लहर उत्पन्न हुई है जिसके परिणाम हम निकट भविष्य में ही देखने की आशा रखते हैं। रित मन्त्री के रूप में नई सरकार का पहला बजट पेश करते हुए मैं हरियाणा की जनता के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट किये बिना नही रह सकता जिसने हमारी सरकार को अभूतपूर्व विश्वास दिया है। मैं यह विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि सही मायनों में लोगों की, किसानों की, मजदूरों

की, दलित व पिछड़े वर्ग की, मेहनतकश उद्यमियों और छोटे व्यापारियों की यह सरकार उनके विश्वास को नहीं तोड़ेगी और अपने चुनाव घोषणापत्र में घोषित नीतियों और कार्यक्रमों को पूरा केरने में पूर्णतया कटिबद्ध रहेगी।

वर्ष 1987– 88 में शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा है। मैं अपने राज्य में सूखाग्रस्त लोगों की कठिनाई को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का वर्णन आगे, करूंगा। इस वर्ष हमने अपनी आजादी के 4० वर्ष पूरे होने से संबंधित यादगारी समारोहों में पूर्णरूप से भाग लिया है। राज्य के वित्तीय साधनों को प्रभावित करने वाली एक ओर महत्वपूर्ण घटना भारत सरकार द्वारा नौवें वित्त आयोग का गठन है जिसका जिक्र मैं अब संक्षेप में करना चाहूंगा।

नौवां वित्त आयोग

केन्द्रीय सरकार ने हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन नौवे वित्त आयोग का गठन किया है जिसके विचारणीय विषय कुछ मामलों में पहले के विचारणीय विषयों से बुनियादी रूप से अलग है। यह मामला आगामी 6 वर्षों में केन्द्रीय सरकार से राज्यों को मिलने वाली धनराशि की दृष्टि से अत्याधिक महत्वपूर्ण है। राज्यों से पहले सलाह किए बिना केन्द्रीय सरकार द्वारा विचारणीय विषय तय किए जाने पर हमने एतराज किया है। हमने मानकित दृष्टिकोण के सिंद्धांत के बारे में भी आपत्ति उठाई है क्योंकि इसका विषयगत परिमाणन आसान नहीं है। वास्तव में माननीय मुख्य मन्त्री चौधरी देवी लालू ने इस मामले में

केन्द्रीय सरकार के मनमाने रवैये का विरोध करने के लिये गैर कांग्रेस (आई)शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ सक्रिय रूप से काम किया है। कलकत्ता और बंगलौर में हमारे मुख्य मण्डी सहित इन मुख्य मन्त्रियों द्वारा किए गए विचार विमर्श के परिणामस्वरूप 30 जनवरी, 1988 को गैर कांग्रेस (आई)शासित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों द्वारा संयुक्त रूप से वैकल्पिक विचारणीय विषयों का प्रारूप प्रधान मन्त्री को दिया गया। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार को सावधान कर दिया गया है कि वह ऐसे निश्चय एक तरफा रूप से नहीं कर सकती जिनसे राज्यों के वित्तीय साधनो पर बुरा प्रभाव पड़ता हो। हमारे लिये यह गर्व की बात है कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंधों से ताल्लुक रखने वाले इस महत्वपूर्ण मामले में बडी भारी भूमिका निभा रहे हैं। हमें आशा है कि उनके प्रयत्न सफल होंगे।

आर्थिक सर्वेक्षण 1987– 88

हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 1987–88, दस्तावेज जो माननीय सदस्यों के पास पहले ही है, गत वर्ष के दौरान आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। मैं इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं का जिक्र करूंगा। वर्ष 1986–87 में भी राज्य के कुछ इलाकों में सूखा पड़ा था। तुरन्त अनुमानों के अनुसार 1986–87 में राज्य की आय स्थिर कीमतों (1970–71)पर 1985–86 में 1802 करोड रुपये से बढ़कर 1852 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि वर्तमान कीमतों पर यह 1985–86 में 5494 करोड़ रुपये से बढ़ कर 5897 करोड़ रुपये हो गई है। क्षेत्रवार, प्राथमिक क्षेत्र में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि माध्यमिक और तृतीय

क्षेत्रों में क्रमशः 7.7 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सूखे का प्रभाव प्राथमिक क्षेत्र में बिल्कुल स्पष्ट है। 1970– 71 की कीमतों पर 1986–87 में प्रति व्यक्ति आय 1233 रुपये थी और वर्तमान कीमतों पर यह 3925 रुपये थी। सूखे के बावजूद, हरियाणा में कीमतों में वृद्धि राष्ट्रीय औसत के मुकाबले में कम हुई है। जहां अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960 = 100)मार्च, 1986 में 634 से बढ़ कर मार्च, 1987 में 686 हो गया (7. 5 प्रतिशत वृद्धि)तथा अक्तूबर, 1987 में बढ़कर 750 हो गया (9. 3 प्रतिशत वृद्धि), हरियाणा का सबंधित सूचकांक आधार वर्ष (1972–73 = 100)मार्च, 1986 और मार्च 1987 के बीच केवल 7.1 प्रतिशत तथा नवम्बर, 1987 तक 7. 6 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 1987–88 दु राज्य बजट अनुमानों के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण से पता चलता है कि पूंजी निर्माण के लिये इसकी प्रत्यक्ष मांग 232 करोड़ रुपये थी जबकि इस के अतिरिक्त 288 करोड़ रुपये की मांग निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के पूंजी निर्माण के लिये अप्रत्यक्ष रूप से थी।

वार्षिक योजना 1987–88

चालू वर्ष 1987–88 सातवीं पंच वर्षीय योजना का तीसरा वर्ष है, जिसके लिये 2900 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। मूलरूप में वार्षिक योजना 1987–88 के लिये 585 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया था। चालू वर्ष के दौरान सरकारी खजाने पर कई भारी वित्तीय दबाव पड़े हैं। विशेष तौर पर हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को नये वेतनमान देने पर 139 करोड़ रुपए खर्च किए गए

तथा उदार रूप से वृद्धावस्था पैशन देने में अभी तक 44 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। हमने यह भी पाया है कि पिछली सरकार ने वार्षिक योजना 1987–88 आय और व्यय के गलत अनुमानों पर बनाई थी। परिणामस्वरूप, 1987–88 की वार्षिक योजना का परिव्यय संशोधित करके 438.97 करोड़ रुपये करना पड़ा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा गया है कि इस से जरूरी विकास कार्यक्मों में कोई कमी न आये। संशोधित परिव्यय में सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण कार्यो के लिये 125.40 करोड़ रुपये, बिजली परि– योजनाओं के लिये 120 करोड़ रुपये, सहकारिता सहित कृषि तथा सम्बन्धित सेवाओं के लिये 40.96 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिये 15.90 करोड़ रुपए, समाज कल्याण सेवाओं के लिये 97. 80 करोड़ रुपये तथा यातायात और संचार सेवाओं के लिये 22. 62 करोड़ रुपये रखे गये हैं। इतना ही नहीं सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना के लिये 70. 65 करोड़ रुपए की राशि पहले की तरह ही रखी गई है।

वार्षिक योजना 1988– 89

वार्षिक योजना 1988–89 के लिये 600 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जो चालू वर्ष के संशोधित परिव्यय से लगभग 37 प्रतिशत अधिक है। (तालियां)वार्षिक योजना 1988–89 में सहकारिता सहित कृषि और सम्बन्धित सेवाओं के लिये 53.48 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिये 13.48 करोड़ रुपए, सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण कार्यो के लिये 102 26 करोड़ रुपए, बिजली के लिए 182 83 करोड़ रुपए, उद्योगों के लिये 10.50 करोड़ रुपये, परिवहन तथा संचार के लिये 33.

96 करोड़ रुपए समाज सेवाओं के लिये 190.50 करोड़ रुपये तथा अन्य सेवाओं के लिये 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना के लिये 34.50 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। पुनः राज्य सरकार ने कुल खर्चे का 30.47 प्रतिशत बिजली के लिये तथा 17.04 प्रतिशत सिंचाई के लिए नियत करके कृषि तथा उद्योगों के लिये आधारित संरचना सुदृढ़ू करने पर बल दिया है। इसके अतिरिक्त योजना के कुल खर्चे का 31.75 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं इत्यादि के लिये नियत करके इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी है। वृद्धावस्था पैंशन भोगियों को दिए गए वचन को पूरा करने की सरकार की समर्थता के बारे में सभी संदेहों को दूर करने के लिए वृद्धावस्था पैंशन योजना को योजना स्कीम के रूप में अनुमोदित किया गया है। (तालियां)मुझे आशा है कि सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम की माननीय सदस्य सराहना करेंगे।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम

संशोधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों में त्वरित व सम्पूर्ण प्रगति करना है। गरीबी–उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1987– 88 में 77,628 परिवारों को सहायता देने के लक्ष्य के मुकाबले में फरवरी, 1988 तक 59,926 परिवारों को वित्तीय सहायता दी गई जिन में अनुसूचित जातियों के 33,845 परिवार शामिल हैं। फरवरी, 1988 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 32.30 लाख श्रम–दिनों का रोजगार पदा किया गया है। व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत

351 लाख बच्चे लाभान्वित किये गये हैं तथा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन 65,900 नसबन्दी आपरेशन फरवरी, 1988 तक किये गये हैं। आवास क्षेत्र में कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत 632 परिवारों को तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 998 अनुसूचित जाति के परिवारों को आवासीय सुविधा फरवरी, 1988 तक दी गई है। गन्दी बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 46,000 लोगों को लाभ पहुंचा है। इसी प्रकार फरवरी, 1888 तक 20,000 के लक्ष्य के मुकाबले में 25,375 पम्पिंग सैटों को बिजली दी गई है तथा 52,200 उन्नत चूल्हे लगाये गये हैं। वर्ष 1987– 88 के दौरान 26,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा की गई है जबकि आगामी वर्ष का लक्ष्य 45,000 हेक्टेयर है। वर्ष 1987– 88 के अन्त तकजल तथा भूमि संरक्षण हेतु और बारानी खेती को बढ़ावा देने के लिये 195 माइक्रोवाटर शेड विकसित किये जायेंगे। चालू वर्ष में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत दालों और तिलहन के 29,600 मिनीकिट के अलावा तिलहन तथा दलहन विकास कार्यक्रम के अधीन दालों के 2,200 तथा तिलहन के 4,800 मिनीकिट वितरित किये गये।

सिंचाई

लगातार प्रयत्नों के बावजूद, राज्य की आर्थिक व्यवस्था कृषि–प्रधान ही रही है। कृषि को मौसम की अनिश्चितताओं से अप्रभावित बनाने के लिये, हमने सिंचाई के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नहर आधुनिकीकरण परियोजना के अधीन दिसम्बर, 1987 तक 451 करोड़ वर्गफुट सिंचाई नालियों को पक्का किया गया जिससे 1892

क्यूसेक जल क्षमता को बचाया जा सका। विश्व बैक सहायता प्राप्त परियोजना के अधीन 1.43 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा करते हुए हरियाणा राज्य लघु सिंचाई व नलकूप निगम के जरिये 17,000 किलोमीटर जल मार्ग किसानों के खेतों में पक्के बनाये गये हैं। वर्ष 1986–87 के मुकाबले में 1987–88 के दौरान हरियाणा राज्य लघु सिंचाई व नलकूप निगम ने अपने समवर्धन तथा सीधी–सिंचाई नलकूपों को लगभग 60 प्रतिशत अधिक क्षमता से चला कर सूखे की स्थिति का मुकाबला करने में बहुत सहायता की है। वर्ष 1987–88 तथा 1988–89 के लिये आधुनिकीकरण परियोजना के लिये योजना खर्च की व्यवस्था क्रमशरू 19 92 करोड़ रुपये तथा 20 करोड़ रुपये रखी गई है। दक्षिण–पश्चिम हरियाणा के ऊंचे–नीचे क्षेत्रों में स्थित जवाहर लाल नेहरू तथा लोहारू नहर उठान सिंचाई स्कीम पर वर्ष 1987–88 में 6 करोड़ रुपये तथा 1988–89 में 9 करोड़ रुपये रखे गये हैं। ऐसे स्थानों पर छिड़काव सिंचाई के प्रयोग को भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना

पंजाब में 212 किलोमीटर लम्बे सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के भाग को पूरा करने की अन्तिम तिथि कथित रूप से अक्तूबर 1988 तक बढ़ा दी गई है। हमारे राज्य के लिये यह बहुत गम्भीर मामला है कि इस परियोजना पर कार्य खिंचता चला जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। इसे पूरा करने में देरी के कारण न सिर्फ हमारे राज्य को प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये के कृषि उत्पादनों से वंचित किया जा रहा है, बल्कि परियोजना का व्यय भी बढता जा रहा है। इस परियोजना को

पूरा करना हमारे राज्य के विस्तृत क्षेत्रों को सूखे से बचाने के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस परियोजना की लागत 1981 मे 176 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1988 में 366 करोड़ रुपये हो गई है तथा प्रधानमन्त्री द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद इस नहर को निर्माण कार्य किसी केन्द्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया है। वैसे इस समय पंजाब राज्य का प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार की निगरानी में चलाया जा रहा है। मैं केन्द्रीय सरकार तथा प्रधानमन्त्री से आग्रह करता हूं कि हमारी शिकायत को दूर किया जाये तथा सतलुज यमुना सम्पर्क नहर को इस वर्ष जून तक पूरा कर दिया जाये।

बाढ़ नियंत्रण

सरकार ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये बड़ी–बड़ी योजनायें बनाई हैं। परिणामस्वरूप अभी तक राज्य में इस प्रकार के 22 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से 16 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। वर्ष 1987– 88 केदौरान 7 करोड़ रुपये की लागत से 4000 हैक्टेयर क्षेत्र बाढ–नियन्त्रण योजनाओं के अधीन लिये गये हैं जबकि वर्ष 1988–89 में इस लागत को बढ़ा कर 13 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

बिजली

बिजली आधुनिक समाज का जीवनाधार होने के कारण राज्य आयोजना में उच्चतम प्राथमिकता पाती रही है। चालू वर्ष के दौरान, पश्चिमी यमुना नहर पन– बिजली योजना के 8–8 मैगावाट के दो और

यूनिट चालू किये गये हैं जबकि पानीपत प्लांट के 210 मैगावाट क्षमता वाले पांचवें यूनिट पर ज्यादातर कार्य अक्तूबर 1988 तक पूरा कर लिया जायेगा। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड 840 मैगावाट क्षमता के यमुनानगर ताप बिजली परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के साथ अनुबंध की शर्तों के बारे में बातचीत कर रहा है। यह संतोष का विषय है कि बिजली की दैनिक प्राप्ति एक नये रिकार्ड तक पहुंची और 1987–88 के पहले 9 महीनों में बिजली की प्राप्ति 4555 मिलीयन यूनिट हो गई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के लिये यह 3799 मिलीयन यूनिट थी। इसी प्रकार, दिसम्बर, 1987 तक हमारे ताप बिजलीघरों में प्लांट लोड फैक्टर बढ़ कर 38.7 प्रतिशत हो गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 32.4 प्रतिशत था। भंयकर सूखे द्वारा उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिये बोर्ड उपलब्ध बिजली का लगभग 55 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को देता रहा है और उस ने नलकूपों को बिजली देने के लक्ष्य को भी 20,000 से बढ़ा कर 25,000 कर दिया है। (तालियां)राज्य बिजली बोर्ड को औद्योगिक विकास बैक जैसी संस्थाओं से ऋण दिलाने हेतु इस को एक इक्यूटी आधार वाली निगमित संस्था का रूप देने का भी निर्णय लिया गया है।

कृषि

कृषि हमारी 78 प्रतिशत आबादी का मुख्य आधार है और राज्य की कुल आय में इस क्षेत्र का योगदान 42. 4 प्रतिशत तक है। विश्व बैक अनुदानित राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना का द्वितीय चरण तथा सूखी खेती और बागवानी को बढ़ावा देने के लिय भारत–इटली कृ

षि परियोजना गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ तथा भिवानी जिलों में चालू है। इसके अतिरिक्त तिलहन तथा दालों की उपज को प्रोत्साहन दने के लिये राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना लागू की गई है। वर्ष 1987–88 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य खरीफ के दौरान 23 3 लाख टन तथा रबी की फसल के लिये 58.5 लाख टन था और गन्ने (मुड़)कपास तथा तिलहन के लिए लक्ष्य क्रमशः 7 लाख टन, 8. 4 लाख गांठें तथा 2 97 लाख टन थे। किन्तु वर्षा की अत्यधिक कमी के कारण उत्पादन कार्यक्रम को काफी क्षति पहुंची है। खरीफ के दौरान अनाज की पैदावार केवल 12.48 लाख टन हो पाई तथा गन्ने (गुड़)तथा कपास की उपज क्रमशः 4.22 लाख टन तथा 6.4 लाख गांठें होने का अनुमान है। वर्तमान रबी के दौरान भी सूखा रहा और हाल ही में वर्षा होने के बावजूद रबी में खाद्यान्न उत्पादन केवल 46.35 लाख टन हो सकता है। किन्तु तिलहन का उत्पादन 2.97 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में 3. 5 लाख टन हो सकता है।

वर्ष 1988–89 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 83. 55 लाख टन नियत किया गया है और गन्ने (गुड़)1 तिलहन तथा कपास का लक्ष्य क्रमशः 8. 2 लाख टन, 3. 1 लाख टन और 9 1 लाख गांठों का है। अगले वर्ष के दौरान अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत चालू वर्ष के 22.17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले में 27. 8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र आ जाने की आशा है। वर्ष 1988–89 के लिये प्रमाणित बीजों, रासायनिक खादों तथा कीटनाशक दवाइयों की खपत के लक्ष्य

क्रमशः 2.04 लाख क्विटल, 4.95 लाख टन और 4500 टन नियत किए गए हैं। अगले वर्ष की योजना में नलकूप लगाने के लिये अनुदान राशि 1.4 करोड़ रुपये तथा छिड़काव सिंचाई सैटों के लिए 90 लाख रुपये रखी गई है।

बारानी खेती को बढ़ावा देने तथा वाटर शैडो के विकास के लिए समन्वित रूप से एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस के लिये 50 लाख रुपये की राशि रखी गई है। खारी तथा कल्लर भूमि के सुधार हेतु जिप्सम की खरीद के लिये 1. 35 करोड़ रुपये की अनुदान राशि रखी गई है।

सहकारिता

ग्रामीण तथा कृषि विकास में हमारे राज्य की सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। वर्ष 1987 की खरीफ फसल के दौरान 57 करोड़ रुपये के फसली ऋण दिए गए और रबी 1988 के लिये यह लक्ष्य 125 करोड़ रुपये का है। वर्ष 198 7– 88 के लिये हरियाणा राज्य भूमि विकास बैक का का भूमि के विकास, बागवानी के विकास तथा कृषि संयंत्रों आदि के लिये 70 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। हैफेड वर्ष 1987– 88 के दौरान 175 करोड़ रुपये के कृषि उत्पाद तथा 62.5 करोड़ रुपये के उर्वरक की बिक्री करेगी। चालू वर्ष के दौरान इसके जाटूसाना जौ–माल्ट संयंत्र के चालू हो जाने की संभावना है। कन्फैड इस वर्ष 30 टन क्षमता वाली आटा मिल स्थापित कर रही है। इस वर्ष राज्य में सात चीनी मिलों ने 1

करोड़ क्विटल से अधिक गन्ना पेरकर तथा 9.42 प्रतिशत चीनी निकालकर बड़ा शानदार कार्य किया है। (तालियां)इसके अतिरिक्त इन मिलों ने गन्ने के लिये पिछले वर्ष की कीमतों से 8 रुपये प्रति क्विटल तक अधिक कीमतें दीं। 1988– 89 के दौरान सहकारी समितियों के विकास पर परिव्यय 6.85 करोड़ रुपये नियत किया गया है।

कर्जा भूमि योजना

यह तथ्य खेदपूर्ण होते हुए भी सत्य है कि गरीब किसान, भूमिहीन मजदूर, छोटे कारीगर तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग के सदस्य काफी लम्बे समय से कर्जों के असह्य भार के नीचे दबे चले आ रहे हैं। ये गरीब कर्जदार अपने कर्जे वापिस करने के योग्य नहीं हैं क्योंकि उन्हें पहते अव्यवहारिक योजनायें दे दी गई तथा कर्जे मेले जैसे दिखावटी अभियानों के जरिये उन्हें कर्जे बांटने में धांधली बरती गई। ऐसे निस्सहाय कर्जदार कर्जे के कुचक्र में फंस गये है जहां प्रायः ब्याज का बोझ ही अनेक मामलों में मूलधन से भी अधिक बढ़ गया है। इससे भी खराब बात यह है कि गरीब कर्ज दार को बाकीदार माने जाने पर किसी अन्य ऋण सुविधा से भी वंचित कर दिया जाता है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि किसानों को कर्जा राहत दिलाने के लिये पहल सर छोटू राम द्वारा की गई जिनकी ख्याति में हरियाणा को गर्व है। हरियाणा के सुपुत्र तथा किसानों के दोस्त द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए लोक दल नेता चौधरी देवी लाल ने अपने चुनाव घोषणा–पत्र में हरियाणा के मतदाताओं को वचन दिया था कि वह गरीबों के ऋण भार को दूर कर देंगे। इसी लिये हमारी सरकार ने

10 अगस्त 1987 को मतदाताओं से किये गये वायदे पूरे करने के लिए ठोस कदमों की घोषणा की। इस योजना को बाद में और भी उदार बना दिया गया। मुझे यहां कर्जा माफी योजना का सारा ब्यौरा देने की जरूरत नहीं जिसे पहले ही कारगर ढंग से लागू किया जा रहा है। फिर भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे राज्य में सहकारी बैकों के कर्जे प्रति कर्जदार 10,000 रुपए की सीमा तक माफ कर दिए गए हैं। (तालियां)कर्जों में राहत की सुविधा न केवल किसानों को बल्कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, छोटे कारीगरों, छोटे दुकान– दारो तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी दी गई है जिन्हें हरियाणा हरिजन कल्याण निगम, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम आदि से कर्जे मिले हैं। हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा दिए गए बकाया ट्रैक्टर कर्जों पर 10,000 रुपए प्रति ट्रैक्टर की दर से कर्जे की राशि माफ कर दी गई है। (तालियां)कर्जा माफी योजना से लाभ उठाने वालों की संख्या 11.7 लाख है। (तालियां)सहकारी बैक कर्जों में राहत की राशि 59. 68 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जब कि समाज कल्याण विभाग के अधीन निगमों द्वारा दी जाने वाली राहत की राशि 8. 36 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार ने वाणिज्यिक बैकों से निर्धन गैर–स्वैच्छिक बाकीदारों के कर्जे के मामलों पर फिर से विचार करने के लिये कहा है ताकि उन्हें अल्प ऋण गारन्टी योजना, 1971 के अधीन कर्जा राहत दिलाई जा सके। ऐसे कर्जों के अन्तर्गत राशि 162 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि राज्य में सरकारी बैकों ने सहकारी कर्जों में राहत देने के लिये जरूरी कार्रवाई पूरी कर ली है। समाज कल्याण विभाग के अधीन निगम भी योग्य

मामलों को सक्रिय रूप से समीक्षा कर रहे हैं किन्तु वाणिज्यिक बैकों से सहयोग प्रोत्साहन दे ने वाला नहीं रहा है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वे राज्य सरकार की कृषक–कल्याण संबंधी योजनाओं में और बातों के अतिरिक्त अल्पऋण गारन्टी योजना 1971 को सच्ची भावना से कार्यान्वित करते हुए सहयोग दें।

खाद्य तथा आपूर्ति

खाद्य तथा आपूर्ति विभाग हैफेड तथा भांडारागार निगम के साथ केन्द्रीय भंडार में अंशदान के लिये खाद्यान्न खरीद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सूबे के बावजूद वर्ष 1987–88 के दौरान, वर्ष 1986– 87 की 23.39 लाख टन की उपलब्धि के मुकाबले में 22.47 लाख टन गेहूं खरीदा गया। इस विभाग ने राज्य में उचित मूल्य की 6447 दुकानों के जरिये सार्वजनिक वितरण के लिये प्रत्येक मास 30,000 टन गेहूं, 3,500 टन चावल, 6,400 टन चीनी, 35,000 टन सीमेंट और 2,000 टन खाद्य तेल, जारी किया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कारगर ढंग से काबू पाने के लिये जिता स्तरीय समितियों के साथ–साथ एक राज्य स्तरीय मूल्य–निरीक्षण समिति बनाई गई है।

पशुपालन

पशुपालन कृषि प्रधान अर्थ–व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है और हरियाणा में पशुपालन के क्षेत्र में बड़ी समृद्ध परम्पराएं हैं। इस विभाग ने 406 पशु– चिकित्सा हस्पतालों, 401 पशु चिकित्सालयों, 60 क्षेत्रीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों और 817 स्टाकमैन केन्द्रों का जाल बिछा

रखा है। समन्वित पशु विकास परि– योजना आठ जिलों में चल रही है। वर्ष 1987–88 के दौरान 40 और चिकित्सालय खोले जा रहे हैं तथा अगले वर्ष में भी 40 अतिरिक्त चिकित्सालय खोले जायेंगे। इस विभाग के जोरदार प्रयत्नों के कारण, वर्ष 1988–89 तक दूध का उत्पादन 29 लाख टन तक, अंडों का 34 5 करोड़ तक और ऊन का 13.2 लाख किलोग्राम तक हो जाने का अनुमान परिव्यय है। इन गतिविधियों के लिये वर्ष 1988–89 के लिये योजना परिव्यय 5 करोड़ रुपए है।

मत्स्य पालन

मत्स्य पालन योजनाओं के लिये वर्ष 1988–89 के दौरान योजना परिव्यय 1. 65 करोड़ रुपये है। वर्ष 1988–89 के लिये मत्सय उत्पादन तथा मत्सय बीज वितरण के लक्ष्य क्रमशः 18,000 टन तथा 4 करोड़ हैं। सिरसा तथा हिसार में दो और मत्सय किसान विकास अभिकरण शीघ्र ही स्थापित किए जाएंगे और वर्ष 1988– 89 के दौरान पूर्व लाभान्वित व्यक्तियों को सहायता की दूसरी किस्त दिए जाने का भी विचार है।

वन

प्राकृतिक देन के रूप में हरियाणा का कुल 3 8 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अन्तर्गत था किन्तु वानिकी और विशेष तौर पर सामाजिक वानिकी के जोरदार प्रयत्नों से राज्य का वनक्षेत्र बढ़कर 7 7 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 1 988– 89 के दौरान, 23 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 22,000 हैक्टेयर क्षेत्र वनों के अन्तर्गत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृ

षि वानिकी को लोकप्रिय बनाने, तथा गरीबों के आय स्तर को ऊपर उठाने के लिये, विकेन्द्रीकृत पौध–शालाओं की एक योजना शुरू की गई है। यह विभाग वर्ष 1987– 88 के दौरान क्रेट, सेब की पेटियां, फर्नीचर आदि तैयार करने तथा इमारती लकड़ी बेचने जैस वाणिज्यिक गतिविधियो से 5.66 करोड़ रुपये की आय अर्जित करेगा।

अपने चुनाव वायदे को पूरा करते हुये हमारी सरकार ने किसानों को सड्कों के किनारे खेतों के साथ–साथ खड़े वृक्षों का आधा हिस्सा देने का निर्णय किया है। इस उपाय से न केवल ऐसे किसानों को मुआवजा मिल सकेगा, जिनकी फसलों को वृक्षों से नुकसान पहुंचता है, बल्कि इससे सामाजिक वानिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

उद्योग

औद्योगिक क्षेत्र में दिसम्बर, 1987 तक लघु उद्योगों के 3,663, ग्रामीण उद्योगों के 1,988 और बड़े मध्यम स्तर के 10 यूनिट स्थापित किए गए हैं। जिला गुड़गाँव में 100 करोड़ रुपये की लागत वाला वैकसीन यूनिट सितम्बर 1990 तक चालू हो जाएगा। वर्ष 1988–89 के लिये 3,500 यूनिट लघु उद्योगों के तथा 2,500 यूनिट ग्रामीण उद्योगों के स्थापित करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार वर्ष 1987–88 के दौरान पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिये स्व–रोजगार की योजना के अधीन 2,300 यूनिटों की स्थापना की जाएगी। राज्य में इलैक्ट्रिानिक उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये ऐसी 500 यूनिटों का समूह गुड़गांव में शीघ्र बन जाएगा, जबकि अम्बाला तथा, गुड़गांव के इलैक्ट्रानिक

केन्द्रों ने आम इस्तेमाल के 50 नए इलैक्ट्रानिक उपकरणों का विकास कर लिया है।

उद्योग विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम डबवाली, करनाल, जगाधरी तथा रोहतक में नई औद्योगिक बस्तियां स्थापित कर रहे हैं। फरीदाबाद में हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम 81 औद्योगिक शैड बना रहा है। इस निगम ने फरवरी 1988 तक 51 परियोजनाओं के लिए आशय–पल प्राप्त कर लिए हैं। उद्योगों के विकास के लिए वर्ष 198 7– 88 तथा 19४8–89 में योजना व्यवस्थाएं क्रमशः 10 करोड़ रुपये तथा 10. 5 करोड़ रुपए हैं। हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम राज्य में उद्योगों के लिये कच्चे माल तथा विपणन सुविधायें जुटा रहा है। हरियाणा वित्त निगम ने दिसम्बर, 1987 तक 23 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। जिसमें लघु उद्योगों का हिस्सा 80 प्रतिशत है। इस निगम की अगले वर्ष के दौरान 30 करोड़ रुपए के कर्जे देने की योजना है।

विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी और तकनीकि शिक्षा

सरकार ने विकास क्षेत्र में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की स्थापना की है। वर्ष 1988–89 के दौरान, अंक छवि प्रणयन प्रणाली (डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम)40 लाख रुपए के खर्च से स्थापित की जाएगी। अगले वर्ष के दौरान, समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम को दो और खंडों में लागू किया जाएगा तथा एक और

ऊर्जा ग्राम की स्थापना की जाएगी। गैर–परम्परागत ऊर्जा–साधन विभाग, डैनमार्क के सहयोग से ग्वालपहाड़ी (गुड़गांव)में 25 करोड़ रुपये के खर्च से सौर ऊर्जा केन्द्र स्थापित कर रहा हे। बिलासपुर गांव में सौर दुग्ध प्रशीतन संयत 70 लाख रुपए के खर्च से स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ककरोई (सोनीपत)में 400 किलोवाट लघु पन–बिजली परियोजना के दो यूनिट पहले ही चालू हो चुके हैं। तकनीकीशिक्षा के क्षेत्र में, हिसार में अभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान और फतेहाबाद तथा उटावड में नए राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव है। (तालियां)

11.00 बजे।

परिवहन

हरियाणा परिवहन समस्त देश में एक गौरवशाली स्थान रखता है। इस विभाग ने सभी प्रकार की बस–बाडी बनाने के लिये 2 करोड़ रुपए की हिस्सा–पूंजी से गुड़गांव में हरियाणा परिवहन अभियान्त्रिकी निगम स्थापित– किया है। इस निगम ने बसों की संख्या बढ़ाने के लिये संस्थागत वित्त जुटाना आरम्भ कर दिया है। हाल ही में, चण्डीगढ़ से विभिन्न जिला मुख्यालयों तक सेमी डीलक्स बस सेवाएं चालू की गई हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण सम्पर्क मानों पर सहायक सेवा जुटाने के लिये मिनी बसों का एक बेड़ा जोड़ा जा रहा है। वर्ष 1987–88 के दौरान 445 और वर्ष 1988– 89 के दौरान 705 नई बसें खरीदी जाएंगी और इन वर्षों के लिये योजना खर्च क्रमशः 12.30 करोड़

रुपए तथा 14.00 करोड़ रुपए रखा गया है। सामाजिक–हित की दृष्टि से हमारी सरकार ने हाल ही में बेरोजगार नवयुवकों को सरकारी पदों के लिए साक्षात्कार हेतु जाने के लिये मुफ्त बस यात्रा की अद्वितीय सुविधा प्रदान की है। (तालियां)

सड़कें तथा भवन

सड़कें विकास का प्राणाधार हैं। वर्तमान 20,000 किलोमीटर लम्बे सड्कों के जाल को और मजबूत तथा चौड़ा करने के अतिरिक्त वर्ष 1987–88 के दौरान, 150 किलोमीटर और वर्ष 1988–89 के दौरान 220 किलोमीटर नई सड़कें जोड़े जाने का प्रस्ताव है। ओमला और टांगरी नदियों पर और सोनीपत तथा करनाल जिलों में यमुना नदी पर बनाये जाने वाले पुलों से परिवहन खर्च में काफी हद तक बचत होगी। सातवीं योजना के अन्त तक शेष बचे 44 निर्देशक गांव भी सड्कों से जोड़ दिये जायेंगे। राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास 100 करोड रुपए से अधिक की विश्व बैक की सहायता द्वारा करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1987–88 के दौरान 23 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य जैसे हरियाणा भवन–एनेक्सी, पंचकूला में सरकारी कर्मचारियों के लिये 88 मकान तथा भिवानी, अम्बाला, करनाल, जींद तथा महेन्द्रगढ़ जिलों में विश्राम गृह किये गये हैं। वर्ष 1988–89 की योजना में सड़क तथा भवन निर्माण के लिये 18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाएं

राज्य के लोगों के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु 1987–88 के दौरान 150 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं जबकि 1988–89 के दौरान 150 और उप स्वास्थ्य केन्द्र, 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे। वर्ष 1988–89 के लिये योजना परिव्यय 11.96 करोड़ रुपए रखा गया है। राष्ट्रीय अधता–निवारण कार्यक्म के अधीन दिसम्बर, 1987 तक 18474 इन्ट्रा–आकुलर आपरेशन किए गए। 2.70 लाख औद्योगिक कामगारों के लिये कर्मचारी बीमा योजना की सुविधा 3 अस्पतालों और 68 औषधालयों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिये अगले वर्ष राज्य में 20 आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन को और चुस्त किया जा रहा है ताकि 2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित समय से कहीं पहले सभी लक्ष्य पूरे किए जा सकें।

जन स्वास्थ्य

हमने विकास कार्यों में राज्य के सभी लोगों के लिए स्वच्छपेय जल की व्यवस्था करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी हे। फरवरी, 1988 तक 380 नांवों के लक्ष्य के विरुद्ध 370 समस्याग्रस्त गांवों को पेय जल सुविधारू प्रदान की गई है जबकि अगले वर्ष 440 अतिरिक्त समस्याग्रस्त गांवों को यह सुविधा दी जाएगी। चालू वर्ष में भीषण सूखे की स्थितियों में वर्तमान जल प्रदाय प्रणाली को सुधारने के अतिरिक्त

ग्रामीण क्षेत्रों में 75 अतिरिक्त नलकूपों तथा शहरी क्षेत्रों में 25 नलकूप खोदने का कार्य 5.85 करोड़ रुपए की लागत से हाथ में लिया गया है। अगले वर्ष के दौरान जल–प्रदाय और मल–निकास योजनाओं के लिये 25.74 करोड़ रुपयों तथा परिवर्धित ग्रामीण जल–प्रदाय योजना के अन्तर्गत 5.31 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है।

शिक्षा

वार्षिक योजना 1988–89 में शिक्षा के लिए 32. 43 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। 1987–88 के दौरान दो नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं और विज्ञान कक्षाएं खोलकर, इलैक्ट्रोनिक्स और कम्प्यूटर विज्ञान जैसे विषय प्रारम्भ कर तथा विज्ञान उपकरण और पुस्तकें आदि प्रदान कर विज्ञान शिक्षा को संवर्द्धित करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। वर्ष 1988–89 के दौरान उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक राज्य परिषद् और 9 नए उपमंडलीय पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इस वर्ष और अगले वर्ष भी 100– 100 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत 66 विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी और 968 प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापन हेतु उपकरण दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत रोहतक, हिसार, सिरसा, जींद सोनीपत और फरीदाबाद जिलों में 6 नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं और 3 और ऐसे विद्यालय महेन्द्रगढ़, भिवानी और कुरुक्षेत्र जिलों में अगले वर्ष

खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त 1987–88 के दौरान भिवानी, सोनीपत और महेन्द्रगढ़ जिलों में तीन केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं और गुड़गांव और सोनीपत में शिक्षा और प्रशिक्षण के दो जिला संस्थान स्थापित किए गए हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लिये वर्तमान 6100 केन्द्रों में 900 और केन्द्र जोड़कर इसे और मजबूत बनाया जाएगा। इसी प्रकार 1988–89 के दौरान 600 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

समाज कल्याण

वृद्धों के प्रति सद्भावना के रूप में, हमारी सरकार ने एक उदार वृद्धावस्था पेंशन योजना चालू की है जिस के अन्तर्गत 100 रुपए प्रतिमास की दर से पेशने दी जाती है। इस पेंशन के लिए पात्रता का मापदण्ड यह है कि इस से फायदा उठाने वाला व्यक्ति हरियाणा का निवासी होना चाहिए, 65 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए, किसी अन्य स्रोत से उसे 100 रुपये प्रतिमास से अधिक पेंशन नहीं प्राप्त होनी चाहिए और आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत पति और पत्नी दोनों पेंशन पाने के हकदार हैं। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक ग्रामवार गणना के माध्यम से लगभग 6.5 लाख लोगों को चुना गया है और केवल इस योजना पर इस वर्ष के दौरान 44 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। (तालियां)अगले वर्ष इस योजना के लिये परिव्यय 74. 65 करोड़ रुपए है। (तालियां)इस योजना को वार्षिक योजना का अभिन्न अंग बना लिया गया है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये बस्तियों के पर्यावरण सुधार और आवास सहायता की योजनायें 1987–88 और 1988–89 के दौरान 1.56 करोड़

रुपए प्रति वर्ष की लागत पर हाथ में ली गई है। हरिजन कल्याण निगम ने 1987– 88 के दौरान राज्य सरकार से 27 लाख रुपए की अतिरिक्त हिस्सा पूंजी की सहायता से दिसम्बर, 1987 तक 11,784 लोगों की सहायता की है। हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम को 1987–88 के दौरान 40 लाख रुपये की हिस्सा पूंजी प्रदान की गई है और 1988–89 के दौरान 60 लाख रुपए और हिस्सा पूंजी दी जाएगी।

विशेष संघटक योजना

वर्ष 1987–88 के लिए 438 97 करोड़ रुपए के संशोधित योजना परिव्यय और वर्ष 1988– 89 के लिए 600 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय में से क्रमशः 41.9 तथा 50.4 करोड़ रुपए के परिव्यय अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लोगो की सहायता के लिए विशेष संघटक योजना में निर्धारित किए गए हैं। फरवरी, 1988 तक, 998 परिवारों को आवासीय सहायता दी गई है और 33845 परिवारों को विभिन्न लाभभोगीन्मुख योजनाओं के अन्तर्गत सुविधा प्रदान की गई है। इसी प्रकार समाज के इन वर्गों के लिए चौपालों के निर्माण हेतु 51 लाख रुपए की राशि खर्च की गई हे।

पर्यटन

वर्ष 1987–88 के दौरान मोरनी पहाड़ियों, कृष्ण धाम (कुरुक्षेत्र)और नरवाना में नए पर्यटन केन्द्र खोल कर और अबूब शहर और आसा खेड़ा में पर्यटन केन्द्रों को पुनः खोल कर हरियाणा में पर्यटन के जाल को और अधिक मजबूत बनाया गया। मैना और मैगपाई

पर्यटन केन्द्रों में सभागारों सहित क्रमशरू एक नौ कमरों वाला मोटल और 20 और कमरे जोड़े गए। बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, दमदमा और पंचकूला में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रारम्भिक कार्य को भी हाथ में लिया गया है। 1988–89 की वार्षिक योजना में पर्यटन के विकास के लिए 1.75 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

लोक उद्यम

सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कार्य और परिणामों के लगातार पुनरीक्षण तथा पूंजी लगाने के प्रस्तावों पर परामर्श देने के लिए सरकार ने एक लोक उद्यम ब्यूरो का गठन किया है। आशा की जाती है कि इस ब्यूरो से राज्य में आर्थिक प्रशासन की एक ठोस विधा उत्पन्न होगी।

संस्थागत वित्त

1987–88 के दौरान राज्य में वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 56 नई शाखाऐं खोली गई जबकि 117 नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। सूखे से प्रभावित लोगों को राहत देने तथा ऋण प्रदान करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैक ने कर्जों को पुनर्निर्धारित करने, दूसरी बुआई तथा चारा उगाने के लिए कर्जे और खपत कर्जे आदि मन्जूर करने के लिए मार्ग–दर्शक निर्देश जारी किए हैं इट कार्य को प्रगति की निगरानी एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है और जनवरी, 1988 तक लगभग 42,000 लोगों को 27. 5 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है। (तालियां)यह विभाग क्षेत्रीय

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र में एक उद्यमी विकास केन्द्र के स्थापना की भी व्यवस्था कर रहा है।

संसाधन संग्रह

जहां सरकार जनता को सर्वोत्तम सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने कर्त्तव्य के प्रति पूर्णतया जागरूक है, वह इन गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए पर्याप्त साधन जुटाने की आवश्यक्ता कें प्रति भी सचेत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार नें जहां कही से भी संभव हो साधन जुटाने के उपायों पर राज्य सरकार को परामर्श देने, सरकारी काम काज में कुशलता तथा मितव्ययता लाने तथा वित्तीय प्रबन्ध को चुस्त बनाने के लिए एक संसाधन समिति का गठन किया है ताकि विकास गतिविधियों के रास्ते में साधनों की कमी न आए। संसाधन समिति ने अभी तक कई बैठकें की है और उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूरगामी सुझाव दिए हैं। उदाहरण–स्वरूप, समिति ने यह महसूस किया है कि राज्य भर में कई मौके की जगहों पर सरकारी भूमि के बड़े–बड़े टुकड़े बेकार पड़े हुए हैं और जिनका शहरी विकास तथा साधन जुटाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस समिति के मार्गदर्शन में ऐसे भूखण्डों की पहचान की जा रही है और उन के उपयोग के लिए योजनाओं को हाथ में लिया गया है। इस के अतिरिक्त समिति की सिफारिशों पर, बिक्री कर की दरों को तर्क संगत बनाया गया है जिस से 1987–88 के दौरान 7 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की आय हुई है। बस सेवाओं की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में बस किरायों में भी वृद्धि की

गई है और ऐसा करने से इस वर्ष के दौरान राज्य सरकार को 6 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। 1988–39 के लिए आबकारी नीति संसाधन समिति की सलाह के अनुसार ढाली गई है और यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष के दौरान आबकारी राजस्व इस कारण पर्याप्त रूप में बढ़ेगा। बिक्री कर से राज्य सरकार को एक समान आय उपलब्ध करने की दृष्टि से समिति के परामर्श पर 1– 1– 1988 से बिक्री कर की मासिक जमा योजना चालू की गई है। हम आशा करते हैं कि संसाधन समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें राज्य सरकार को अपनी निरंतर बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को बिना किसी वित्तीय बाधा के पूरा करने में सहायता देंगी।

मैंचिक ओष्ट योजना

हमारी सरकार विकास गतिविधियों में लोगों द्वारा अधिक से अधिक भाग लेने में विश्वास करती है और इस लिए उसने सम्पूर्ण राज्य में मैचिंग ग्रान्ट योजना चालू की है। वर्ष 1987– 88 के दौरान इस योजना के लिए 2.60 करोड़ रुपए की मूल व्यवस्था को 394 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है और अगले वर्ष के लिए हमने 2 66 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है। सरकार ने राज्य से बाहर बसे हुए लोगों समेत हरियाणा के सभी लोगों से यह निवेदन किया है कि वे राज्य में किसी भी गांव या नगर में किसी भी प्रकार की स्थायी परिसम्पत्ति के निर्माण के लिए नकदी या वस्तुरूप में साधन जुटाएं ओर इसके लिए सरकार ने राजकोष में से अनुदान के रूप में बारबर राशि देने का वायदा किया है। इस के अतिरिक्त, मुख्य मन्त्री ने मुख्य मन्त्री राहत कोष

से निर्धन–ग्रामीणों के लिए लाभ– प्रद रोजगार जुटाने वाली स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उदार मैचिंग ग्रान्ट मन्जूर की हैं।

प्राकृतिक आपदाएं

अभूतपूर्व सूखे ने खरीफ, 1987 रो दौरान राज्य के अधिकांश भागों को विध्वंस किया है जिस से 700 करोड़ रुपए की फसल की हानि हुई। कुछ स्थानों पर भरपूर मौसम में पिछले साल की 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक ही वर्षा हुई। एक ज्ञापन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को 468. 35 करोड़ रुपए की सहायता देने के लिए निवेदन किया गया था ताकि लोगों के दु:ख दर्द को दूर किया जा सके। किन्तु मुझे सम्माननीय सदस्यों को भारत सरकार के असहानुभूतिपूर्ण रवैये के बारे में सूचित करते हुए खेद होता है कि भारत सरकार ने केवल 37.22 करोड़ रुपए की मन्जूरी दी। (शेम)हमें इस बात का दु:ख है कि केन्द्र सरकार ने इस मामले में हमारे साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया है। परिणामस्वरूप हमने लोगों को पर्याप्त मात्रा में तथा उस सीमा तक जहां तक हम चाहते हैं, राहत उपलब्ध कराने में बड़ी कठिनाई महसूस की है। फिर भी, राज्य सरकार ने इस कठिन समय में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि और अतिरिक्त नलकूप बोर करने के लिए, साज–सामान की खरीद तथा जल प्रदाय सुविधाओं में सुधार के लिए 5. 85 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, चारा ढोने तथा चारे के मूल्य पर सहायता अनुदान देने के लिए 4.02 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और पशुओं को स्वास्थ्य–रक्षा प्रदान करने पर 3.80 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे है।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान रबी फसल की संभावनाओं में सुधार लाने की दृष्टि से, हमारी सरकार ने किसानों के लिए 7 करोड़ रुपए मूल्य की कृषि– निवेश सहायता की व्यवस्था की है। अल्पकालिक और मध्यमकालिक कर्जों तथा आबयाना और तकावी कर्जों की वसूली को भी स्थगित कर दिया है। अभी तक 5771 गांवों के तालाबों को पानी से भरा गया है और हमारे समाज के सूखाग्रस्त लोगों को 39.3 लाख श्रम–दिनों का राहत रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

रबी 1987 के दौरान भी कुछ जिलों में ओला–वृष्टि हुई, जिस से खड़ी फसलों को व्यापक क्षति पहुंची। हमारी सरकार ने मुआवजे के रूप में 8.30 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मैं इस सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 1987–88 में राहत कार्यों पर 10.50 करोड़ रुपए ऐसे खर्च किए हैं जिन को भारत सरकार ने अपने संकुचित निर्देशों के कारण अनुमोदित नहीं किया है, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष के दौरान राज्य पर वित्तीय भार और अधिक बढ़ गया है।

जैसा कि माननीय सदस्यो को विदित है कि 7 जिलों में अभी हाल ही में ही हुई ओला–वृष्टि द्वारा खड़ी फसलों के नष्ट हो जाने के कारण रबी फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है जिससे 6. 5 करोड़ रुपए से अधिक की फसल की हानि हुई है। हमारे मुख्य मन्त्री, जो किसानों के सच्चे मित्र और शुभचिन्तक हैं, ओला– वृष्टि से प्रभावित जिलों में तुरन्त गए और प्रभावित फसलों के लिए नकद मुआवजे की घोषणा की. और यहां तक कि उन्होंने स्वयं कई गांवों में कुछ राशि वितरित की। सरकार

ने आदेश दिया है कि विशेष गिरदावरी के आधार पर जो शुरू की जार चुकी है, 400 रुपए प्रति एकड़ की दर से जहां खराबा 75 प्रतिशत से अधिक है, 300 रुपए प्रति एकड़ की दर से जहां खराबा 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक है तथा 200 रुपए प्रति एकड़ की दर से जहां खराबा 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक है, नकद मुआवजा दिया जाएगा। (तालियां)यह आपदा वर्तमान रबी में कम बुआई, नमी की कमी तथा निरन्तर सूखे के कारण अंकुरित फसलों को पहुंची क्षति के परिणामस्वरूप कम उपज की संभावनाओं के अतिरिक्त है। इस विषय में किसानों को विभिन्न प्रकार की राहत उपलब्ध कराने की दृष्टि से, हमने केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया हुआ है जिस में 317 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की गई है।

संशोधित अनुमान 1987–88

भारतीय रिजर्व बैक की बहियों के मुताबिक 34. 63 करोड़ रुपए के प्रत्याशित अन्तिम घाटे के मुकाबले में, 1987–88 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, चालू वर्ष के अन्त में घाटा 3.06 रुपए करोड़ होने की संभावना है। (तालियां)ये आकड़े गैर–विकास खर्चों को यथासंभव कम करके तथा जरूरी विकास व्यय के लिए साधन जुटाते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था को संतुलित रखने के सरकार के संकल्प को स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं। यह इस बजट की उल्लेखनीय बात है, बावजूद इसके कि अभूतपूर्व सूखे के कारण, सरकारी कर्मचारियों को 1– 1– 86 से बकाया भुगतान सहित नए वेतनमान दिए जाने पर 139 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भार तथा 65 वर्ष की आयु से ज्यादा के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन

की नई योजना के अन्तर्गत 44 करोड़ रुपए के खर्चे के कारण राज्य की अर्थ–व्यवस्था पर भारी दबाव रहा है। हमने, पिछली कांग्रेस (इ)सरकार से विरासत में प्राप्त साधनों के घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार को 100 करोड़ रुपए की योजना सहायता तथा 50 करोड़ रुपए का गैर यौजना ऋण प्रदान करने का अनुरोध किया था। परन्तु हमारी इस बात को अनसुना कर दिए जाने के कारण हमारे पास 150 करोड़ रुपए की योजना कटौती लागू करने के सिवाय कोई चारा न रहा। राज्य सरकार की गति– शील नीतियों को प्रशासित मूल्यों में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित डाक एवं दूर–सचार प्रभारों और रेल–सेवा प्रभारों में अत्यधिक वृद्धि के कारण बहुत बड़ा धक्का लगा है। दिसम्बर 1987 तथा जनवरी 1988 के महीनों में इस्पात तथा कोयले की कीमतें क्रमशः 15. 6 प्रतिशत तथा 4. 5 प्रतिशत और पैट्रोल की लगभग 15 प्रतिशत बढ़ा दी गई। पुनः, फरवरी, 1988 में रेल किराया तथा भाड़ा भी काफी बढ़ा दिया गया और डाक तथा दूर–संचार की दरें भी अत्यधिक बढ़ा दी गईं जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार को लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। केन्द्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की राशि उगाहने के लिए सूखा– अधिभार भी लगाया, जबकि सूखा राहत की विद्यमान प्रणाली के अधीन राज्यों को दी जाने वाली सहायता व्यावहारिक रूप में अर्थोपायिक सहायता से थोड़ी सी ही अधिक है। केवल यही नहीं, यह सूखा अधिभार वर्ष 1988–89 में भी जारी रखा जा रहा है। इन वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों मे होने वाली उपर्युक्त अत्यधिक वृद्धि से सरकार का खर्चा बहुत बढ़ गया है और इससे राज्य पर अति– रिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस सब के

बावजूद हमने राज्य की वित्तीय स्थिति को न तो नियन्त्रण से बाहर होने दिया है और न ही हमने आवश्यक विकास कार्यक्रमों को कोई हानि पहुंचने दी है। माननीय सदस्यों को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम हरियाणा में आर्थिक विकास की गति को और तेज करते रहेंगे। (तालियां)

सरकार ने गैर योजना खर्च को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वाहन चलाने में होने वाले खर्च को नियन्त्रित करने के लिए वर्ष 1986–87 के दौरान हुए वास्तविक खर्च पर पैट्रोल/डीजल की खपत में 10 प्रतिशत कटौती की गई है। इसी प्रकार, मुख्य मन्त्री, मन्त्रीयों, प्रशासकीय सचिवों तथा समान पद के अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, अध्यक्षों/ प्रबन्ध निदेशकों, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, सत न्यायाधीशों और उप–महानिरीक्षक तथा इससे वरिष्ठ अधिकारियों तथा गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों को छोड़ कर, सरकार तथा निगमों/बोर्डों के सभी रिहायशी टैलीफोनों से एस०टी०डी० सुविधाएं हटा ली गई हैं। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि जिलों में आने वाले मन्त्रियों के स्वागत के लिए सम्मानार्थ पेश की जाने वाली सलामी गार्ड की सामन्ती (औपनिवेशिक)प्रथा को समाप्त कर दिया जाए, जिससे न केवल अनावश्यक खर्च होता था बल्कि भारी प्रशासनिक असुविधा भी होती थी। इसके अतिरिक्त, अनावश्यक पदों को भरने पर लगा प्रतिबन्ध तथा गैर–योजना अमले पर लगी 10 प्रतिशत कटौती को भी जारी रखा गया है

1988–89 के बजट अनुमान तथा वार्षिक योजना 1988–89

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस गरिमाशाली सदन के समक्ष, वर्ष 1988– 89 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। निम्नलिखित तालिका में 1987–88 के संशोधित अनुमानों तथा 1988–89 के बजट अनुमानों के फलस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:–

(रुपये करोड़ों में)

	संघटक	संशोधित अनुमान 1986– 87	लेखे 1986– 87	बजट अनुमान 1987– 88	संशोधित अनुमान 1987– 88	बजट अनुमान 1988– 89
1	अथ शेष					
	(क)महालेखाकार के अनुसार	(-) 31.81	(-) 31.81	(-)81.87	(-) 43.57	(-) 44.26
	(ख)भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(+)4.86	(+)4.86	(-) 45.20	(-) 2.37	(-) 3.06
	(ग)प्रतिभूतियों में निवेश	7.45	7.45	7.45	7.98	7.98
2	राजस्व लेखा					
	प्राप्तियां	1069.22	1130.17	1275.07	1357.98	1447.47
	खर्च	979.03	967.36	1084.34	1314.39	1349.99

	अधिशेष	(+)90.19	(+)162.81	(+)190.73	(+)43.59	(+)97.48
3	पूंजीगत खर्च	210.78	172.26	184.76	140.23	132.58
4	सार्वजनिक ऋण	721.83	542.78	597.48	586.98	532.94
	लिया गया ऋण	505.12	394.95	464.96	462.30	411.66
	भुगतान निवल	(+) 216.71	(+) 147.83	(+)132.52	(+) 124.68	(+)121.28
5	कर्जे और पेशगिया					
	पेशगियां	246.55	185.50	236.68	177.63	221.91
	वसूलियां	25.86	23.92	35.43	28.37	33.91
	निवल	(-) 220.69	(-) 161.58	(-)201.25	(-) 149.26	(-) 188.00
6	अन्तर्राज्यीय निपटान	-	-	-	-	-
7	आकस्मिकता निधि में	-	-	-	-	-

	विनियोजन					
8	आकस्मिकता निधि निवल	-	(+) 1.14	-	-	-
9	अनिधिक ऋण					
	निवल	(+) 37.91	(+) 38.40	(+) 40 08	(+) 96.94	(+) 48.38
10	जमा तथा पेशगियां					
	निवल	(+) 26.10	(-) 15.59	(+) 22.75	(+) 23.59	(+) 20.18
11	प्रेषण					
	(निवल)	(+)10.50	(-)12.51	(-)10.50	-	-
12	(क)वर्ष का इति शेष महालेखाकार के					
	अनुसार	(-) 81.87	(-) 43.57	(-)71.30	(-) 44.26	(-) 77.52

	भारतीय रिजर्व बैक के अनुसार	(-) 45.20	(-) 2.37	(-) 34.63	(-) 3.06	(-) 36.32
	(ख)प्रतिभूतियों में निवेश	7.45	7.45	7.45	7.98	7.98

उपर्युक्त विवरण से यह पता चलता है कि भारतीय रिजर्व बैक की बहियों के अनुसार वर्ष 1988–89 के अन्त में 36. 32 करोड़ रुपए का घाटा होने की संभावना है जबकि 1988–89 का प्रारंभिक घाटा 3.06 करोड रुपए माना गया है। वर्ष 1988–89 के बजट अनुमानों में 600 करोड़ रुपए की योजना लागत का उपबन्ध किया गया है। क्षेत्रवार, सिंचाई तथा बिजली के लिए उपबन्धित 285 करोड़ रुपए की लागत वर्ष 1987–88 के मुकाबले में 16 प्रतिशत अधिक है जबकि सामा– जिक सेवाओं के लिए उपबन्धित 190 करोड रुपए की लागत वर्ष 1987–88 के मुकाबले में 95 प्रतिशत और कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए 18 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 1987–88 का 43.59 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष वर्ष 1988–89 के दौरान बढ़कर 97.48 करोड़ रुपए हो जाएगा। इससे यह संकेत मिलता है कि जहां प्राप्तियों में लगातार वृद्धि जारी रहेगी, वहां गैर विकास खर्च में वृद्धि को न्यूनतम स्तर पर रखा गया है। राज्य आबकारी से होने वाली आय अगले वर्ष में 17 प्रतिशत की दर से बढ़ने की आशा है परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर अधिनियम में संशोधन करने के हाल के प्रस्ताव से, जिस में देसी शराब के लाईसेंसदारो पर मनमाने ढंग से अत्यधिक आयकर लगाया जाना है, इन प्राप्तियों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम में धारा 44 क ग जोड़े जाने के लिए संसद में एक

विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसके तहत देसी शराब, वन उपज, औद्योगिक छीजन आदि की नीलामी में 60 प्रतिशत लाइसेंस शुल्क को लाभ समझा जाएगा जिस पर संबंधित विभाग द्वारा लाइसेंस–दारों से 20 प्रतिशत की दर से आयकर वसूल किया जाएगा और आयकर विभाग के पास जमा कराया जाएगा। हमने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले ले, क्योंकि इसको लागू करने से राज्यों के आबकारी– राजस्व में भारी कमी हो जाएगी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट में घाटे को, विभिन्न प्रतिकूल बातों के होते हुए भी, न्यूनतम तथा व्यवहारिक सीमाओं के भीतर रखा गया है। मैं 36.32 करोड़ रुपए के प्रत्याशित घाटे को, कर–राजस्व की बेहतर वसूली द्वारा तथा गैर– योजना खर्च में किफायत करके पूरा क्रने का प्रस्ताव करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आगामी वर्ष में इन्द्र देवता हम पर कृपावान रहेंगे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की अंदरूनी लोच मुझे स्वयं समर्थ बना देगी कि मैं अतिरिक्त साधनों को जुटा कर बजट के घाटे को पूरा कर सकूं। इसलिए मैं किसी नए कर को लगाने या किसी वर्तमान कर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं करता हूं क्योंकि मैं राज्य की अर्थ व्यवस्था में मुद्रा–स्फीति के किसी दबाव को नहीं लाना चाहता। (तालियां)

व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को रियायतें

जहां वर्ष 198 7– 88 के दौरान आबकारी तथा कराधान विभाग ने वसूलियों में पिछले वर्ष की आमदनी से 19 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है, वहां इस ने करों में सुगर लाने तया व्यपारियों और उद्योगपतियों को रियायतें तथा सुविधाएं देने के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक मात बिक्री कर फार्म एस० टी० 38 फार्म संख्या 37, 61, 62, 68 और 69 के स्थान पर लागू किया गया और बिक्री कर फार्म एस०टी० 39 (राहदारी)कर मुक्त माल के मामले में जो राज्य से होकर ले जाया जाएगा, नाकों पर अब प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी। कर–निर्धारण के विवादग्रस्त मामलों में कर–निर्धारिणी अब स्वीकृत कर को जमा करा सकते हैं ताकि वे अपील दायर करने के पात्र बन सकें। ऐसे मामलों में जहां व्यापार एक वर्ष में 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं होता, और जमा किया गया बिक्री कर पिछले वर्ष से 15 प्रतिशत या अधिक की बिक्री वृद्धि दिखाता हो, एक संक्षिप्त निर्धारण की प्रणाली शुरू की गई है। इसके साथ ही कैशमीमो जारी करने की सीमा को 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया है और अब अधिक भुगतान किए गए कर की वापसी निर्धारण–आदेश की प्रति के साथ कर दी जाएगी। इसी प्रकार, अवांछनीय बातों को रोकने के लिए पच्चीस अतिरिक्त वस्तुओं के लिए प्रथम प्रक्रम पर बिक्री कर लगाया गया है और हरियाणा सामान्य बिक्री कर की धारा 48 के अधीन दंड लगाने के निर्धारण प्राधिकारी के स्वैच्छिक अधिकार को कम कर दिया गया है। एक उपबन्ध किया गया है जिसमें कोई व्यापारी जिसका

पंजीकरण हेतु आवेदन प्राधिकारियों के पास लम्बित हे, विवरणियां दायर कर सकता है और किसी पंजीकृत व्यापारी की तरह बिक्री कर. का भुगतान कर सकता है। व्यापार, उद्योग तथा उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हित में बिक्री कर के मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए, एक बिक्री कर सलाहकार समिति का गठन किया गया है। हमारी सरकार व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की समस्याओं के प्रति पूर्णतः जागरूक हैं और उनकी मांगों की प्रतिक्रियास्वरूप हमने निम्नलिखित कर राहतों की घोषणा की है ताकि सम्बद्ध वस्तुओं में व्यापार को बढ़ावा मिल सकेः–

(1)कम्बलों पर बिक्री कर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। (तालियां)

(2)लौह तथा अलौह धातु के बर्तनों पर जिन में प्रैशर कुकर भी शामिल है, हरियाणा अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, दोनों के अधीन बिक्री कर घटा कर 3 प्रतिशत कर दिया गया है। (तालियां)

(3)जूट के थैलों, परतदार थैलों और एच० डी० पी० ई० बुने हुए बोरों पर बिक्री कर वर्तमान 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। (तालियां)

(4)इसी प्रकार हलवाइयों, बेकरीवालो और ढाबेवालो को बिक्री कर के भुगतान से पूर्णतया छूट दे दी गई है जैसा कि 31– 12– 1987 के पहले था। (तालियां)

कर्मचारियों को लाभ

जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पहली जनवरी, 1986 से चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नए वेतनमान देने का निर्णय लिया है। इन वेतन संशोधनों के साथ 608 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तक मंहगाई भत्ता मूल वेतन में मिला दिया गया है और वेतन में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि प्रदान की गई है। इस निर्णय से 139 करोड़ रुपए का खर्च आया है। जिसमें सामान्य भविष्य निधि में जमा कराई गई लगभग 62 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। सरकार ने वेतनमानों में सभी असंगतियों को दूर करने के लिए भी कदम उठाए हैं और कुछ ऐसे निर्णय भी लिए हैं जिनसे सरकारी कर्मचारियों को दीर्घकालीन लाभ उपलब्ध होंगे। हमारी सरकार ने नियत चिकित्सा भत्ता 150 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति वर्ष कर दिया है और नियत यात्रा भत्ता तथा साइकिल भत्ता दुगना कर दिया है। हमने 25,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों में तैनात कर्मचारियों को 200 रुपए तक मकान किराया भत्ता भी प्रदान कर दिया है. जिनमें पहले केवल 50 रुपये तक का ग्रामीण भत्ता देय था। विभिन्न पदों के लिए स्वीकार्य विशेष वेतन की दरें पहली जनवरी 1986 से दुगनी कर दी गई हें। (तालियां)

सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित लाभों की भी घोषणा की है:–

(क)अब द्विवर्षीय अवरोध वेतन–वृद्धियों की संख्या तीन की बजाए पांच होगी।

(ख)वेतन और विशेष वेतन मिलाकर वेतनमान के अधिकतम से न बढ़ने देने की शर्त वापिस ले ली गई है।

(ग)1–7–87 से अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्त दे दी गई है।

इन सभी कदमों से सरकार पर 22.38 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा है। सरकार को यही आशा है कि इन लाभों के साथ सरकारी कर्मचारी सरकारी कामकाज में समूची कार्यकुशलता लाने के लिए अपने कर्त्तव्यों के प्रति पूर्ण लगन, समर्पण तथा तथा निष्ठा का एहसास करेंगे।

मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष होता है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1988 से संशोधित वेतनमानों के आधार पर पैंशन की राशि मंजूर की जाएगी। (तालियां) अन्त में हें, वित्त विभाग के अधिकारियों तथा अमले के प्रति अपना हार्दिक आभार अवश्य व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने बजट दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक तथा समय पर तैयार किया है। मैं बजट अनुमान तैयार करने में महालेखाकार, हरियाणा का उनके द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए धन्यवाद करता हू। संघीय क्षेत्र प्रेस तथा हरियाणा प्रेस के अमले तथा अधिकारीगण भी हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस

कार्य में अनथक परिश्रम किया। महोदय, इन शब्दों के साथ अब मैं वर्ष 1988–89 के बजट अनुमान इस गरिमामय सदन के विचारार्थ तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करता हूं। (तालियां) जय हिन्द (तालियां)

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

11 35 बजे

(तत्पश्चात् सदन बुधवार, दिनांक 23–3– 1988 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)।